[Shri R. Venkataraman]

for the services of the financial year 1981-82 be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1981-82 be taken into consideration."

The motion was adopted

MR DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"that clauses 2 and 3 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN: I beg to move:

"That the Bill be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled, after Lunch, at Thirtyfive minutes past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ESSENTIAL COMMODITIES (SPECIAL PROVISIONS) BILL—*Contd.* PREVENTION OF BLACKMARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL. —*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER: We will now take up further consideration of the motion on Essential Commodities (Special Provisions) Bill and the motion on Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill.

Shri Bhuria was on his legs. He has spoken for one minute. He may resume his speech.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले जो मैंने भाषण देना शुरू किया था आज उसको पूर्ण करने का जो मौका आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दलों के सदस्यों के भाषण सुन रहा था। हम जो कानून बनाते हैं उनकी तो वे तारीफ करते हैं परन्तु मुझे अफसोस है कि जब हम उसे एक्जीक्यूट करते हैं तो उसका वे विरोध करते हैं। हमने 1975 में एमर्जेंसी लगाई थी और उस पीरियड में देश और देश के लोगों का बहुत विकास हुआ था। हमने सोने का भंडार भरा, देश के खाद्यान्न के गोदाम भरे और तमाम ब्लेक मार्किटियर्स और कालाबाजारियों को बन्द किया। इन सब के कारण देश का तेजी के साथ विकास हुआ। मैं चाहता था कि हमारे विरोधी दलों के सदस्य कम से कम इसकी तारीफ करते।

जब हमने 1977 में सत्ता छोड़ी तो जितने भी ब्लैक मार्किटियर्स और कालाबाजारी करने वाले बन्द थे वे सब बाहर आ गये। फिर वही बातें बढ़ गयी जो पहले थी। अगर किसी बच्चे की मां मद्यपान करती है, तो बच्चा नहीं बच सकता है। यही हाल जनता पार्टी के राज में अर्थव्यवस्था का हुआ। तमाम का तमाम प्रशासन ठप्प पड़ा था और यही कारण है कि आज हमें अमेरिका से अन्न मंगाना पड़ रहा है। विदेशों से दूसरी चीजें मंगानी पड़ रही है।

हमें यह नही भूलना चाहिए कि अगर हमें देश की तरक्की और विकास करना है तो हमें सब से पहले इन ब्लैक मार्किटियर्स और कालाबाजारियों को खत्म करना है। मैं अपने विरोधी दलों के भाईयों को भी यह कहना चाहता हू कि आपकी जानकारी में भी ऐसे जो लोग हो उन्हे बताए। ये लोग प्रजातत्रों के लिए खतरा है। ये लोग प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहते है। ऐसे लोगो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तभी इस देश का और इस देश के लोगो का विकास होगा। नही तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मै दाना और पानी मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आज उनके पास दाना भी है और पानी भी है, कि वे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाएं। आज गांवों के लोगों की जो हालत है उस मे हम अपनी वितरण व्यवस्था के द्वारा राहत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सहकारी आन्दोलन को बढ़ाना होगा। क्योंकि जो कण्ट्रोल का माल आप वहां के लोगों के लिए देते हैं वह अगर शहरों में बेच दिया जाएगा तो गाव वालों को माल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में जो डेढ़ लाख प्राइमरी कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं और जिनकी मेम्बरशिप 7 करोड़ है, उनका पार्टिसिपेशन हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मे होना चाहिए। इन सहकारी समितियों के द्वारा हम अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते है, जिससे कि गाव के गरीब और हरिजन आदिवासियो तक आवश्यक चीजें आसानी से पहुचा सके।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर इन देश से अपने ब्लैक मार्किटियर्स और कालाबाजारियो को खत्म करना है तो हमारे सहकारी आन्दोलन को मजबूत किया जाए। हमारे राष्ट्र की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी 15 अगस्त को कालाबाजारियो और चोर बाजारियो के बारे मे अफसोस जाहिर किया था। अगर हमे इनको खत्म करना है तो हमे सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना होगा। इनको हम सख्ती कर के ही खत्म कर सकते है। इनको फासी लगा कर भी खत्म करने की आवश्यकता हो तो वैसा भी हमें कानून बनाना चाहिए। तो ऐसा कानून बनाना चाहिए। यह कालाबाजारी और ब्लैकमार्केट प्रजातंत्र पर, एक कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए, साफ करने के लिए सख्ती से कानून लागू करना होगा यह कार्य हमको सख्ती से और तेजी से करना होगा तब यह समाप्त होगा।

इन शब्दों के साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जय-हिन्द।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri). Mr. Deputy Speaker, Sir, rise not oppose the objects of the Bill and we on this side have never opposed the steps taken by the Government to do effectively with the persons indulging in anti-social or similar activities. However, some

[Shri Bapusaheb Parulekar]

of the hon members from that side who spoke the other day made mention that that some knowledge has dawned upon the opposition members and now they have stopped opposing this motion; but when the previous Bill, namely, Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities was passed, we staged a walk out and now we are supporting the objects of very clear in order to keep the record straight that at thai time the walk out was not for the purposes the Bill. I would like to make it of opposing the objects of the Bill but it was because of the law of detention which according to us was a law of the Jungle; and we are governed by the rule of law and it is our say and it w'll be our say that no person should be kept behind bars unless opportunities have been given to him to defend himself against the charges; it was because of that we staged a walk out. I would like to repeat it that that walk out was not staged because we wanted to oppose the objects of that particular Bill. This particular act came to be passed first in the House in 1954 and the provisions were made stringent by making amendments in 1976. I would like to ask the hon. Minister whether during all these years and even after making the law stringent by amendments in 1976, the prices have come down? What I mean to say is that by making the provisions stringent the prices will never come down; It requires a strong political will and strict implementation of the law.

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*]

13 hrs.

Now I would like to invite the attention of the hon. Minister to the fact that the implementation of these laws is not properly made. So, I wanted to make a submission that some provisions should be incorporated in the Bill with regard to implementation. I had the opportunity to conduct many cases under this particular Act, and if we see the decision of the court we will find that the courts were compelled to acquit the accused not because of any wrong provision of law or because of any deficiency in the law but because of the investigation procedure, because the *panchas* were brought by the police, the habitual *panchas* were brought. In 99.5 per cent of the cases, the *panchas* turned hostile. *The Panchnamas* of the property were not properly made and the Magistrates and the judges were compelled to acquit the accused though there was no lacuna in this particular law.

This is not the only case. Since 1954 we have COFEPOSA. We have Preventive Detention. Then we have Prevention of Blackmoney Act. It is about a year that we had passed the Prevention of Blackmoney Act. At that time, I remember the hon. Home Minister said, if this law is legislated and the powers are given to the executive to detain persons against whom there is a suspicion that they are indulging in such activities, it is very likely that in a few months we will bring down the prices. I would like to pose a question and ask the hon. Minister to tell us what is the position since the passing of this particular Bill by which we have taken this draconian power to detain the persons behind bars without trial. I want to know whether the prices have come down. This is what you have said in the preamble.

> "whereas for dealing more effectively with persons indulging in such anti-social activities and the evil of vicious inflationary prices....."

But I submit that even with the passing of this measure, this objective will not be achieved. The preamble is a confession on the part of the Government that by legislation the prices cannot be brought down. Therefore, I would request the Government to consider seriously what steps the Government would be required to take to achieve this objective.

As far as the Bill is concerned, I find that only four amendments are

sought to be made to the original Act of 1954. The first provision is that instead of the appeals lying to the judicial authority when the collector used to confiscate the goods, the forum is changed and appeals are to lie to the State Governments. The second amendment is that the offence is made non-bailable. The third amendment is that special courts are being established. I do not know why they are in favour of special courts when they had developed an allergy for special courts.

MR. CHAIRMAN: The circumstances may be special.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: may be special.

Maybe there are special circumstances on the basis of which the amendments are being made. The fourth amendment is that a minimum sentence of three months is prescribed. By bringing these four amendments, do you seriously feel that the prices of essential commodities will be brought down? If you ask me, I will honestly say that even if you make the law more stringent, the prices will not come down.

There is another interesting aspect of the Bill. Clause 1(3) of the Bill says that it shall cease to have effect on the expiry of five years. Government feel that with these four amendments, within five years the prices will come down. I would ask the Minister, since the passing of the Prevention of Blackmarketing Bill providing for detention, how many persons have been detained and what is the price index now? This will show that none of the objectives mentioned to this House by the Minister have been achieved.

On page 6, in the statement of objects and reasons, it is mentioned that there are a large number of court cases pending under the principal Act all over the country and the price rise continued unabated in the years 1979 and 1980 and therefore, this amending Bill is being brought. As you observed, Mr. Chairman, there are special circumstances and this may be one of those special circumstances, i.e. backlog of 76,000 cases. But surprisingly the provisions have not been made applicable retrospectively. Clause 2 says·

"provided that the amendments specified in sections 7 to 11.."—I feel the word 'sections' is wrong, because only section 8 is amended, at least that amendment they shall have to accept—"shall not apply to, or in relation to, any offence under the principal Act committed before the commencement of this Act...."

So, you yourself say that the jurisdiction of the special courts will not extend to those 76,000 cases which are pending as mentioned in the statement of objects and reasons. Therefore, in what way are you going to dispose of those pending cases? I do not know why those cases are not being brought under the jurisdiction of the special courts. I request the Minister to explain why this should not be made applicable retrospectively and why it should be only prospective.

Coming to clause 5, this is an amendment to Section 6c of the principal Act. In this the authority to file appeals, has been given to the State Government instead of the judicial authority. I do not know the reasoning. The only reasoning which I tried to hunt out from the Statement of Objects on page 7 is that in order to ensure availability of essential commodities to the consumers provision is being made for preferring appeal against the order of confiscation to the State Government. How by preferring an appeal to the State Government instead of the Sessions Judge or the Judicial Magistrate, the prices are to come down? I would very much like to be enlightened by the hon. Minister on this particular point.

Kindly consider the difficulties which the people will be experiencing. The persons who have committed the offence should be dealt with very severely. But at the same time, it is our

[Shri Bapusaheb Parulekar]

duty to see that the innocent persons do not suffer. Supposing an offence is committed in a remote village and the goods are confiscated. Formerly under the Act of 1954 or 1976 the person used to go to taluka place to file an appeal with the sessions judge or the magistrate If villagers are charge-sheeted and arrested, how many of them will be in a position to go to the State capital? That may be told to us by the hon. Minister. At the same time, he may also tell the logic behind this particular amendment.

Instead of making these offences non-bailable I would like that some stringent steps should be taken. I would like to make a submission and a very serious submission that a distinction should be made between offences of an ordinary nature and the offences of hoarding and black-marketing. Not displaying the items and prices on the board is an offence and black-marketing and hoarding is also an offence. If you read the entire Act, the punishment and the bail provision are the same. I respectfully submit that by this way, we are going to make grave injustice to those people who are petty shopkeepers. I am reminded of a case. In a village there was a small shop where total commodities were not worth Rs. 1000. That man displayed the prices on the board with a chalk. There was a shower and in the shower the board was washed away. At the instigation of somebody, he was arrested by the police. If that be the case, then he will not be able to get bail. And the minimum punishment is three months. Kindly consider the difference between serious offences and petty offences. That is why I say that this Bill has not been properly drafted.

MR. CHAIRMAN: You mean to say that the offences should be categorised.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Yes, Sir.

Then the hon. Minister has made the offences non-bailable. I would respectfully submit that by making the offences non-bailable it will not be possible to curb and check this mischief. Non-bailable offence is not an offence where bail cannot be granted and the bail cannot be considered as a matter of right. But even there the Magistrate would release the man on bail.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Why do you bother?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There is a proviso that any person shall not be released on bail unless he is under the age of 16 years or is a woman or is a sick or infirm person. Such a serious step has to be taken against black-marketeers and hoarders only.

With reference to special courts, I may submit that the special courts are established to try person who commit such offences and the powers are given to the Magistrate. But here the abettor has been made to stand on a different footing. The abettor is a person who commits the offence of a serious nature. He should be dealt with severely. In clause 8 there is a provision to release him on bail That should be checked.

If we take into consideration all other provisions on which I will speak when I move the amendments, this Bill as a whole—I am sorry to say—is not properly drafted, the implementation would not be proper and the objective will not be achieved. It is very necessary that it should be sent to the Select Committee so that a threadbare discussion on every clause, every provision of the Bill, could be had. Though I support the objects of the Bill, I do not support the draft of this particular Bill, which contains many lacunae.

*SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Sir, I support this Bill. I congratulate the hon. Minister for bringing this measure, which is meant to deal with blackmarketeers, hoarders and profiteers.

It is the State Governments which have to implement this law Therefore, we must see that they do implement it and there is no let-up in the implementation. Why I say this is that last time when the Preventive Detention was enacted for effectively dealing with blackmarketeers, who deal in essential commodities, the Government of Kerala and the Government of West Bengal openly said that they would not use Preventive Detention against the blackmarketeers. This stand of these State Governments encouraged the blackmarketeers and resulted in further price rise. These State Governments could not raise a little fingre against the elements who were responsible for price rise. Therefore, the Central Government should think about a mechanism whereby the law passed by Parliament can be implemented effectively ever if the State Government hesitates to do that.

My friend, Shri Balanandan of the CPM supported this Bill. He wanted the punishment to be for 5 years instead of 2 years as is provided in the Bill While I am happy that he supported it, I wonder whether he sincerely meant it. The reasons is that his party which is running Government in to States had refused to use preventive detention against the very same elements who are meant to be punished by this law. Any way, I hope the State Governments run by his Party will implement the law.

The country is facing a terrible inflationary situation. It is said that the rate of inflation is aroused 18 per cent. This has pushed up the prices and the Government will have to take very stringent measures to deal with that. I want to say a word about the officials who are entrusted with the task of implementation of these laws The Government should see to it that the officials do not misuse the provisions of the Bill. The Government should also see to it that while implementing the law honest citizens are not put to harassment.

Once again supporting this Bill, I conclude.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Chairman, I was surprised to listen to Shri Parulekar, who was referring to special courts. He probably forgot that during the Janata rule so many special courts were constituted against politicians, against the opponents and good citizens. We are having special courts for summary trial only against anti-social elements like blackmarketeers and hoarders. So, he should not object to this. He was very pious in his intentions. So far as the objects of the Bill are concerned, he is one with us. But he was mentioning that suppose a vendor in a village has committed some office, he will have to spend a lot of money to go to the court which will be difficult for him. So far as anti-social elements are concerned, whether they are in the villages or towns, they must be punished whatever the circumstances.

This Bill is being brought forward to curb hoarding and check blackmarketing. It is a fact that we brought forward an amending Bill in 1976, but its provisions were not sufficient to punish the anti-social elements We had to plug the loopholes and that is why this Bill is being brought forward.

At present there are over 50,000 cases in the courts and the tardy procedure of the civil courts always comes in our way and we are not able to punish the guilty, as we desire.

15.00 hrs.

So, taking this into consideration we have thought of bringing this Bill to make it more stringent and by

*The original speech was delivered in Malaylam.

[Shri R. L. Bhatia]

enforcing the provisions of this Bill we will be able to achieve our objects.

Sir, the first amendment is the summary trials Normally in the court it takes a lot of time to carry on these cases and see that the guilty are punished. Therefore, in order to have an expeditious trial we are bringing about the summary trials in this special court.

Secondly, we have made it mandatory that if there is anybody who is committing this offence, he will have the punishment for a minimum period of three months. Formerly, this provision was not there, and by bringing this provision it will be a sufficient deterrent for the anti-social elements to act in this way.

Thirdly, we have made this offence non-bailable. Formerly, the culprits would always get out of our hands by seeking bail and then follow up the cases and the cases took a long time. Since they are non-bailable now, it will be a sufficient deterrant for these people, for the black marketeers and for the hoarders.

One more thing has been added that the goods will be seized and sold. Formerly culprits would always come to the court with an application that 'the goods are perishable, they would rot'. So generally the courts would permit them to have the seized goods back if they gave sufficient security. But in this case it will not be possible, the goods would be sold out and the money deposited in the court.

These are the main provisions which we are bringing about and we hope that these provisions will be able to achieve our object with regard to hoarding and blackmarketing.

But, Sir, my mind goes farther and I feel that it is not by law alone we can check all these things. We have made laws in the past also, we have brought about amendments also and we are bringing amendments even now. But at the same time we have to see our policies also. Some time back we initiated our policies of procurement, our policies of storage and our policies of distribution so far as foodgrains and essential articles are concerned. So if we have a look at our policies and their implementation we find that there are many flaws. With regard to procurement, take for instance, the procurement of wheat in the last season. What we find is that in our system there are certain lacunae, there are certain areas where the hoarders and blackmarketeers always find out a certain way and play their part. We must procure every single grain that comes to the market. Last year what happened was that people from Bombay and other areas, before the Government functioned and started procurement, had already taken away a good deal of wheat from Punjab and Haryana and the result was that we in Punjab and Haryana got a bad name that we could not fulfil our targets. So it is very important that the procurement system should be enforced in such a manner that we get every single grain that comes to the market. It is a policy matter no doubt, whether you have state trading in wheat or you have a monopoly procurement system or whatever system you have and it is imperative that a country like India you have to feed 68 crores of people. How can you do it in the manner in which you are doing it now? The hoarders and blackmarketeers always find a way out and they create a problem for us

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Make the FCI more efficient.

SHRI R. L BHATIA: Whatever it is, it is for him I am only just suggesting it.

You have to import 1.5 million tonnes of wheat from outside. Last year I wrote to you and to the Prime Minister that in America wheat is rotting. At that time there was embargo on Russian purchases and China had not come to the market. I reported to you when I came back from America that the wheat was lying outside over there and is very cheap. There is a great depletion of our food stocks. I suggested to you if at all you have to buy, it is right time to buy. You purchased this year when embargo was not there and China has come to make purchases. Had you purchased at that time it would have been economical and your granary would have been full. Procurement could not have been that bad as it is now. We would not have gone through all this. Hoarders would not have taken advantage of the situation and the black marketeers would not have taken this advantage at all.

This is your obligation. It is good that you have imported now and you have improved your storage But I am sorry that a man like Shri Bajpayee objected to this. Some of our friends are also objecting. Shri Vajpayee said in Bombay, "We will tell the workers not to unload. We will tell the traders not to sell it and we will tell people not to buy it." To improve the stock position Vajpayce objects his buying wheat? Is this his attitude? I am glad that the Minister has imported this year and improved his storage of wheat and it will be possible for us to feed back our fair price shops.

Similarly, with regard to storage I must say that we must build the storage capacity more because last year and even a year back I found in Punjab and Haryana areas lot of paddy had deteriorated. I put a number of questions. Even today my question was there and you agreed that there has been some deterioration in stock and there have been losses.

India is large in size and population. We must keep up enough food and arrange go downs to see that we feed back our fair price shops. In this country there is also drought, etc. Keeping in view the over all position we must improve on this side also.

Now I come to distribution. I must say to my dissatisfaction that our distribution system is very defective. The poor people do not get essential articles at the fair price shops. The poor man goes and finds the shop closed. Second time he again finds it closed. The third time when he finds the shop open, the ration dealer says that all the stocks have been sold out. We are getting such complaints. I know it is not your affair, But there should be some liaison between the Centre and the State. When we are procuring for the people, why have we given distribution to them? Why do we not do it directly? We must improve the situation. People must get essential articles. You are supplying it. You are making them available from India and abroad. If it does not reach the poor people, it means there is something wrong We ought to see to it.

I must say that apart from these changes which we are bringing about, the provisions which we are bringing about, it is very imperative that we look into our policies and see if we can implement to the extent that people feel satisfied. With these words I support this Bill.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, श्री राव साहब को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं और सहयोग प्रस्तुत करता हूं कि काला-बाजार और जखीरेदार, इनको दंडित करने के लिए आप के पास जो भी अधिकार है और जो आपको चाहिए, वे हम आप को

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

देने के लिए तैयार हैं। हमारी यह मान्यता है कि जो देश के अन्दर काला-बाजारी करते है और देश के हित को ध्यान मे न रखते हुए जखीरेबाजी करते है, वे देशद्रोही हैं और उनको जितनी अधिक से अधिक सजा दी जाए, उतनी कम है तथा उनको किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है, यह हमको देखना है। लेकिन सभापति जी, श्री राव साहब दो विधेयक लेकर सदन मे आए हैं और सदन को विश्वास दिलाना चाह रहे है कि अगर यह दो रामबाण आपने हमको दे दिए और ये दो विधेयक पास करके आप ने दे दिए, तो जितनी देश के अन्दर काला-बाजारी और जखीरेबाजी हो रही है, वह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए।

मै आपके माध्यम से राव साहब से कहना चाहूंगा कि आप के पास आज जो भी अधिकार है और जो दो विधेयक लेकर आप सदन में उपस्थित हुए है, इन दोनो विधेयको मे ऐसी कौन सी खास बात है, जिसके कारण आप यह समझते है कि जो काम आप अभी तक नही कर पाए है, वे कर लेंगे। सभापति जी, अभी तक सरकार के पास नेशनल-सिक्यारिटी-एक्ट, एसेन्शियल-कोमोडिटीज-एक्ट और प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग-एक्ट—ये सारे कानून आपके पास है और जिसके तहत आपको सजा देने के अधिकार है। लोगो को बिना कारण बताए, उन पर मुकदमा करने और पकडने का अधिकार है। मै आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक इन तीनो कानूनो के होते हुए आपने कितने लोगो को पकड लिया, कितनों को सजा दी और आप कितने कामयाब हुए? लगता ऐसा है, जैसा कि राजस्थान से आने वाले कांग्रेस के ही संसद सदस्य, श्री वृद्धिचन्द्र जैन जी, ने कहा था कि अगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते है और चाहते है कि ऐसे लोगो से हमे मुक्ति मिले तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। उसके लिए संकल्प चाहिए, क्या वह संकल्प आज हमे दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि सरकार कानून बनाना चाहती है, कानून बनाने का नारा, समाजवाद का नारा देना चाहती है, लेकिन वास्तव में कुछ करना नही चाहती है। चूंकि यह राव साहब के डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नही है, इस लिए मैं सदन के सामने इसकी गम्भीरता को रखना चाहता हूं। जिस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ाए गए, तो इसके सूचना सारे देश में थी कि इसके भाव बढ़ेंगे और उसके दाम बढ़े।

अब मै आपका ध्यान एसेशियल कामोडिटीज आफ फर्टिलाइजर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यूरिया, जो कि नाइट्रोजन खाद है, उसके भाव में 350 रु० टन की वृद्धि की गई। मै सरकार से जानकारी चाहूंगा कि जब 350 रु० टन यूरिया की खाद पर वृद्धि की गई, तो देश के अन्दर लगभग 15—20 कारखाने नाइट्रोजन खाद पैदा करते है और उनके पास जो स्टाक था, क्या सरकार ने उस स्टाक को अपने कब्जे मे लिया? जिस रॉ-मैटिरियल से नैफ्था से यूरिया पैदा हुआ था, उस पर भी उतना ही पैसा लगा था, लेकिन इसके दाम नही बढ़ाए और 350 रु० टन की यूरिया मे वृद्धि की। सरकार ने जिन लोगो के पास इसका अम्बार भरा पडा था, उस को जब्त करने की कोशिश नही की। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल तैयारशुदा माल ही, ये सब कारखानो के जो मालिक है, नैफ्था जो कि इस का

रॉ मैटिरियल है, जिसके आधार पर यूरिया तैयार होता है उसका प्राइस बढ़ाने के कारण यूरिया की प्राइस बढ़ाई गई। उस नैफ्था का स्टाक इनके पास मनमाने ढंग से पड़ा हुआ था। मैं मांग करता हूं कि यह जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस सरकार के आपस के सांठगांठ के कारण कारखानो के मालिको के यूरिया को जब्त न करने के कारण, नैफ्था की कीमतों का असेसमेण्ट न करने के कारण, केवल एक दिन मे 103 करोड रुपये का नाजायज फायदा यूरिया के कारखानों के मालिकों ने उठाया है।

मैं अभी डीलर्स की बात नही कर रहा हूं उन का चैकिंग भी होना चाहिए था। जिस कीमत पर माल तैयार किया गया था, उस की इन्क्रीज का फायदा सरकार ने उन को कैसे उठाने दिया और वह भी करोड़ो रुपयों का फायदा? मैने एक उदाहरण दिया है—क्या इस के बाद भी सरकार मंशा रखती है कि उन करोडपतियों, पूजीपतियो, कारखाना मालिकों पर अंकुश लगाना चाहती है, उन पर इस कानून को लागू करेगी? मुझे तो ऐसा नजर नही आता है।

एक उदाहरण पहले भी दिया जा चुका है और इस मौके पर भी मैं उस को दोहराना चाहता हूं ...

सभापति महोदय जो दिया गया है उसको दोबारा क्यो ले रहे है कोई नई बात कहिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल . मुझे समाप्त करने दीजिए। शक्कर और गेहूं के लिए आपने प्रचार किया है और यह सत्य भी है कि इस साल जो उत्पादन हुआ है, वह रिकार्ड उत्पादन है, लेकिन चूंकि कालाबाजारी करने वाले लोग, जखीरेबाज लोग, उस को दबा कर बैठे हैं, बाजार में लाना नही चाहते है इसलिए सरकार मजबूर हो कर गेहूं और शक्कर का इम्पोर्ट कर रही है। रावसाहब, क्या यह सरकार की कमजोरी नही है, इस अधिकार को लेकर आप क्या करेगे? जब आप खुद कहते है कि शक्कर की कमी नही है, गेहूं की कमी नही है, लेकिन जखीरेबाज दबा कर बैठे है, भाव बढ रहे है, इसलिए सरकार मजबूर हो कर बाहर से मंगा रही है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक पोलिटीकल विल नही होगी, तब तक जिस चीज को करने की हमारी इच्छा है, संकल्प है, उस का रिश्ता वोट और वोट के पैसे से जोड कर रखेगे तो कुछ नहीं कर सकेगे। चाहे किसान हो, व्यापारी हों, मजदूर हों, विद्यार्थी हों, जब तक अपने फैसलों को वोट और राजनीति से जोडे रहेंगे, देश मे कुछ नहीं कर सकते। आप अधिकार माग रहे है, लेकिन जब इच्छा नही है तो मांगने से क्या होगा? जैसा अभी भाटिया जी ने कहा देश मे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टेन्थन करेंगे तो कालाबाजारी और जखीराबाज अपने आप खत्म हो जायेंगे। मैं अपने को और इस सरकार को, दोनों को दोष देना चाहता हूं—हाफ-हार्टेड-वे मे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नही चल सकता। हम जन-वितरण प्रणाली देश मे ला रहे हैं, हम ने भी इस को लाने का प्रयत्न किया और आप ने भी किया लेकिन इस को ईमानदारी के साथ मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई, यदि इस को ईमानदारी से मजबूत करने की कोशिश की जायगी तो इस देश मे अवश्य इस समस्या का निदान हो जायगा।

जहां तक महगाई की बात है—8 अगस्त, 1981 का महगाई का होलसेल प्राइस इण्डैक्स 287 2 पर पहुच गया— आप बतलाइये इस सरकार की क्या उपलब्धि है? जिस समय यह सरकार सत्ता में आई थी—यानी 19 महीने पहले, उस

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]]

समय इण्डेक्स 226.6 था, लेकिन 19 महीनों मे 226.6 से बढ़ कर 287.2 पर पहुंच गया, यह इस प्रकार की उपलब्धि है, यानी एक सप्ताह मे 1 प्वाइण्ट वृद्धि होती गई और मै समझता हू---यह रिकार्ड वृद्धि है। इस के लिए आप भले ही इस सरकार को बधाई दीजिए, लेकिन कहा तक अपने मुखौटे को छुपा सकेगे। दोनों कानून आप ने पास कर दिये तो हम कुछ कर सकेंगे---मै कहता हूं आप कुछ नही कर सकेंगे, चाहे आप कितने कानून पास कर लीजिए। हम आप का अधिकार देने के लिए तैयार है लेकिन कुछ कर के दिखलाइए।

हम ने कहा है कि इन को सिलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए, लेकिन सरकार इस को फौरन पास कराना चाहती है। यदि सरकार इन दोनो कानूनों के लिए इतनी गम्भीर थी तो इसके लिए आर्डिनेन्स ला सकती थी---आप आर्डिनेन्स क्यो नहीं लाये.....

राव वीरेन्द्र सिंह : आप की सलाह से करना चाहते है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आर्डिनेन्स ले कर क्यो नही आये।

सभापति महोदय : आप कितनी देर और लगायेगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मै जल्दी ही समाप्त करूंगा, बहुत कुछ बाते पारूलेकर जी ने कह दी है।

सभापति महोदय : 3-4 मिनट मे खत्म कर लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पिछले बजट सत्र में आप ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। मै जानना चाहता हूं कि उस समय इस को प्रायोरिटी क्यों नही दी गई। आप इस को बहुत महत्वपूर्ण मानते है, प्राथमिकता देना चाहते है, जल्दी पास कराना चाहते है तो जब बजट सेशन मे इन दोनों बिलों को रखा गया था, उसी वक्त पास करा लेते, लेकिन आप उस समय धीरे धीरे आगे सरकाते चले गये।

राव वीरेन्द्र सिंह : व्यापारियो की बात सुनना चाहते थे, उन्होने टाइम मागा था, इसलिए उन को पूरा मौका दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : व्यापारियो से बातचीत चल रही थी :

राव वीरेन्द्र सिंह : उन को पूरा मौका दिया और आप को भी। पब्लिक ओपीनियन हम जानना चाहते थे।

सभापति महोदय : लेकिन व्यापारियों ने आप की अपील को एकदम अनसुना कर दिया।

राव वीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक दूसरी बात कहना चाहता हू। आप का स्वयं का सम्बन्ध वनस्पति तेल से है। इससे आप का सीधा सम्बन्ध है। क्या आप हम को बतायेगे जिस फार्मूले को आधार बना कर तेल आयातित किया जाता है, किस परसेण्टेज मे वह तेल आप उन को देते हैं और उस की कीमत कितनी होनी चाहिए। टैरिफ कमीशन के फार्मूले के अनुसार देते है या कोई दूसरा फार्मूला आप के पास आ गया है, जिस के आधार पर आप प्राइस

निश्चित करते हैं। समाचार-पत्रों में हम ने पढ़ा है कि सरकार ने 190 रुपये पर टिन प्राइस फिक्स की है।

राव बीरेन्द्र सिंह : 192 रुपये प्रति टिन।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 192 रुपये प्रति टिन एक्सक्लूडिंग सैल्स टैक्स। यह आप ने वालंटरी प्राइस निश्चित की है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कौन से हिस्से में आज इस कीमत पर वनस्पति तेल मिल रहा है, हिन्दुस्तान के और कोनों को आप छोड़िए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां भी आज खुला वनस्पति नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरी मान्यता है कि किसी चीज को एचीव करने के लिए संकल्प चाहिए। जब तक संकल्प नहीं होगा, चाहे आप जितने कानून बना लें, उन से देश का भला होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चहता हूं कि आपने इस में कहा है कि यह एक टेम्पोरेरी मेजर है। ये बिल जो आप ला रहे हैं, सेंशियल कोमोडिटीज में जो आप ने स्पेशल प्रोविजन किये हैं, इन को आप ने टेम्पोरेरी क्यों क्यों रखा है। भाई? यह अहसान आप किस पर कर रहे हैं। क्या आप यह अहसान व्यापारियों पर कर रहे हैं। अगर आप यह मानते हैं कि ऐसा प्रावधान होना आवश्यक है, तो फिर टेम्पोरेरी क्यों रखा है। क्या आप समझते हैं कि पांच साल के अन्दर ब्लैक-मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि व्यापारियों की कालाबाजारी या होर्डिंग की प्रवृति को आप खत्म कर देंगे, इस समय के अन्दर।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम उम्मीद कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह अपने आप में सरकार की कमजोरी है।

MR. CHAIRMAN: Hoping against hope.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा परुलेकर साहब ने कहा है कि जो कनफिस्केशन का प्रावधान आप ने किया है, उस का मैं स्वागत करता हूं लेकिन आक्शन की जो बात कही गई है, उस के मैं खिलाफ हूं। आपने अपने इस कानून में अब यह प्रावधान किया है कि माल को कनफिस्केट किया जाए और अभी तक जो यह प्रावधान था कि उस को आक्शन के द्वारा बेचा जाए, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ़ हूं। आप ने जो यह कहा है कि एक प्राइस फिक्स करने के बाद इस को बेच दिया जाए, यह सही है क्योंकि पहले आपस में व्यापारी मिल जाते थे और जो माल सीज किया होता था, उसको ले लेते थे। इस प्रावधान का मैं स्वागत करता हूं लेकिन आप ने जो यह प्रावधान किया है कि स्टेट आथोरिटीज को ही अपेलेट आथोरिटी बनाया जाए, उस का मैं विरोध करता हूं और मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं होगी। मेरी मान्यता तो यह है कि इन दोनों बिलों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस सरकार का न्यायपालिका में, न्याय की पद्धति में कोई विश्वास नहीं रहा है। मैं यह समझता हूं कि इन दोनों बिलों में जो ये प्रावधान लाए गये हैं, वे न्यायपालिका का अपमान है। मेरा कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय किसी जूडीशियल आथोरिटी को अपेलेट आथोरिटी रखिए और कनफिशकेशन का जो प्रावधान किया है, उस का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। अब आप समाप्त कीजिए पाच मिनट में।

You have already taken fifteen minutes. Eight minutes were allotted.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: I am summing up, Sir

मैं बिल पर ही आ रहा हूं। (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल . बेलिएबिल को जो नान-बेलएबिल बनाया है और तीन महीने की सजा रखी है, उस का मै स्वागत करता हूं लेकिन इस में मै यह कहना चाहूगा कि अगर हम ने चोर और डकैत को और छेड़छाड़ करने वाले को, इन तीनो को एक ही केटैगिरी में रख दिया, तो मेरे ख्याल से यह न्याय नहीं होगा यानी डिस्प्ले आफ प्राइस लिस्ट एक अपराध है और जिस ने ब्लैक किया है, होडिंग की है या माल दबाए बैठा हो, वह एक अपराध है अगर इन दोनो को एक ही केटेगिरी मे रखेंगे, तो यह न्यायोचित नही होगा। इस इशू पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सलेक्ट कमेटी को इस बिल को रफर करना चाहिए।

अन्त मे समरी ट्रायल के लिए जो इस मे कहा गया है, उस के बारे मे भाटिया साहब ने भी काफी कह दिया है और अगर मै उस के बारे मे सब कुछ बताने लगा, तो उस में बहुत समय लगेगा, लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि इस में कोई नई बात नहीं है। अगर मै पुराने एक्ट को पढ़ दूं उसमें समरी ट्रायल है। कम से कम आपकी जो खाने-पीने की चीजे है, इन के जितने भी केसिज है, उनमें समरी ट्रायल होता है। यह समरी ट्रायल कोई नया प्रावधान नहीं है, यह तो वही का वही प्रोविजन है।

स्पेशल कोर्ट का जो प्रोविजन आप ले कर आये है, स्पेशल कोर्ट आप जितनी बना सकते है उतनी बनाइये। लेकिन उन स्पेशल कोर्ट्स को समरी ट्रायल मत कहिये। इन स्पेशल कोर्ट्स मे अशेंसल कमोडिटीज एक्ट या दूसरे जो ऐक्ट है उनके अन्तर्गत इकोनोमिक ओफेंसिज के केसिज का ही ट्राइल होगा और यह ट्रायल डे टू डे बेसिस पर चलेगा। इस मे आप ने मेक्सिमम पनिशमेंट दो साल का रखा है। सभापति जी आप जानते है कि समरी ट्रायल में एक जज या मजिस्ट्रेट जो बयान लिखता है वह उसका सब्स्टेंश लिखता है और जो जजमेंट देता है उसका भी सब्सटेंस देता है। आपने मुलजिम को दो साल की मेक्सिमम सजा का प्रावधान किया है लेकिन समरी ट्रायल मे जज किसी भी ब्लेक मार्किटियर्स या होर्डर्स को मेक्सिमम दो या तीन महीने की सजा दे कर छोड देगा। मेरा सुझाव यह है कि आप इस मे स्पेशल कोर्ट जरूर रखिए। आप अधिक से अधिक स्पेशल कोर्ट बनाइये। समरी ट्रायल से आपका परपज सर्व होने वाला नहीं है।

इस मे स्पेशल जज की नियुक्ति के बारे मे आप ने लिखा है कि जो लायक हो सकते है उनको बनाया जायेगा। मैं समझता हू कि यह ठीक नहीं है। अगर जो लोग अनएम्प्लाएड है उनको नाकरी देने की बात आपने सोची है, बार के अन्दर बहुत से ऐसे लोग बैठे है जिनकी वकालत नहीं चलती है, अगर उनको स्पेशल कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनाना है तब तो बात दूसरी है वरना यह जो क्लाज आपने रखी है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने लायक होगा, ठीक नहीं है।

इस सेकिंड बिल प्रिवेंशन ग्राफ ब्लेक मार्किटिंग एण्ड मेण्टीनेंस ग्राफ सप्लाईज ग्राफ ग्रशेंशल कामोडिटीज ग्रमेण्डमेंट बिल में जहां जहां भी जुडीशियल ग्रथारिटी ग्राया है उसकी जगह पर ग्रापने गवर्नमेंट रखा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह उचित नहीं है। जहां पर कि जुडिशियल ग्रथारिटी की जरूरत है वहां पर ग्राप उसकी कन्सेण्ट से ही इस काम को करिए। ग्रापने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है वह काफी नहीं है। ग्राप ऐसा प्रोविजन क्यों चाहते हैं? जहां ग्रापको जज की राय लेनी चाहिए, वहां उसकी राय ली जानी चाहिए। ग्रपोइंटमेंट के लिए जज से नहीं पूछा जाए ग्रौर स्वयं गवर्नमेंट ग्रपोइंटमेंट कर दे तो मैं समझता हु कि यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) ग्राप को इस व्यवस्था को वापस लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मै यह कहता हूं कि जब तक यह सकल्प नहीं होगा, कि हमें किसी काम को करना है उसमें चाहे किसी का वोट जाता हो या किसी का वोट रहता हो तब तक मै समझता हूं कुछ नहीं होगा।

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Essential Commodities (Special Provisions) Bill, 1981 and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities (Amendment) Bill, 1981 moved by my hon. friend

Sir, my hon. friend, Shri Parulekar opposed the non-bailable section severe punishment etc. Though I demand more stringent punishment like even death by hanging for the hoarders and black marketeers of essential commodities, who are committing crimes against the society and the nation, the Government may find it difficult to go that far.

We have enough essential commodities but we have not got effective public distribution system. In 1976 our Government had formulated and implemented the public distribution system for fourteen essential commodities. The price tags on all the essential commodities were to be compulsorily put up. This enabled the people to know the prices prevailing in different parts for the same essential commodities. Price variation was avoided in this manner. The Janata Government gave up these things. Now, the scheme of public distribution should be reintroduced. It is going to be an Act. But, implementation is the question. If the State Government is not implementing it, you must be very careful about that. It is a major thing in this Bill.

Unless the prices of essential commodities are controlled, no public distribution system can be effective. now even in fair price shops there is no uniform price for the essential commodities. There is no checking also of the prices charged by the fair price shops. Naturally, this leads to widespread corruption. The primary step to be taken by the Government is that prices of essential commodities should be fixed and imposed if necessary even with statutory support. Then only we will be able to help the poor people of the country. The Planning Commission has accepted that 40 per cent of our population is living below the poverty line. The Government knows that the earning per day of such people is just 75 paise. How do we expect them to buy essential commodities for their living at the prices which change hour by hour. Soaring prices of essential commodities are the breeding ground for all corrupt practices.

I say this from my personal experience. I took it up with the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation that the Agencies of Civil Supplies Corporation to whom they give kerosene and sugar sell the kerosene drums and sugar bags in the blackmarket.

[Shri K. T. Kosairam]

The Corporation did find that some retailers were doing this. Inspite of my repeated demand that these offenders should be prosecuted no action has been taken by the Government of Tamil Nadu to prosecute them. The Corporation has neither the power nor the staff to undertake prosecution. I suggest that the Panchayat Commissioners, Tehsildars and the Police officials above the level of Sub-Inspectors must be empowered to launch prosecution as soon as such offenders are caught. I would even demand capital punishment provision in the law which will prove a real threat for these anti-social and anti-national elements.

Sir, I was referring to the soaring prices which prove an incentive for blackmarketing. Similarly, in the case of cement even the manufacturers are not above this blame. They are in league with the stockists and cement is sold in blackmarket even at the factory level. The Regional Cement Controller must be empowered to have a check on the production of cement. The Tehsildars, Panchayat Commissioners and the Industries Department officials are authorised to issue cement permits. I have been suggesting for a long time that there should be a check to ensure that the cement procured under specific permits is used for that specific purpose. In the absence of such a check, cement is being sold in the market now at more than Rs. 80 per bag. A system of such a scrutiny must be evolved and those who are found not using the cement for the purpose for which they got it through permit must be prosecuted and deterrent punishment should be awarded.

Sir, I demand that the State Governments which do not implement the Essential Commodities Act effectively must be taken to task. Though the Centre supplies wheat to Tamil Nadu, the Tamil Nadu Government is always telling the people that the Centre is not supplying the required quantity of wheat to the State.

Similarly, the foodgrains supplied under the Food-for-work programme are also not being properly distributed to the workers. There is widespread rumour that the foodgrains are being given to the party cadre. These things must be looked into by the Centre.

Unless the Government of India evolves a price control mechanism, at least for the essential commodities, it will not be possible to successfully implement any distribution system.

For example, frequently the tyre manufacturers are allowed to increase the prices of tyres. It has a chain reaction resulting ultimately in the increase in the prices of essential commodities. If petrol and diesel prices are increased, it is reflected in the price increase of vegetables and other essential commodities because transportation cost increases How do you break this vicious circle and ensure a stability in prices of essential commodities? The hon. Minister must think over these matters seriously, and formulate concrete steps to control prices of essential commodities and also for effectively distributing them. Thank you.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने चोर बाजारी, संग्रहखोरी, मुनाफाखोरी को रोकने के सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया है मैं उस का तहेदिल से समर्थन करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस पार्टी का सम्बन्ध व्यापारियों से कैसा है यह सारी दुनिया जानती है और यही कारण है कि शहर में उन की थोड़ी बहुत दाल गल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उन की दाल नहीं गलती क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के साथ उस पार्टी

का कोई सम्बन्ध नहीं है, व्यापारियों के पैसे के आधार पर अपनी दुकानदारी चलाते रहे, उस पार्टी के सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल जी ने कहा कि इस विधेयक का हम स्वागत करते है, लेकिन, और जब लेकिन या परन्तु लगता है तो ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तिनका है। लेकिन और परन्तु क्यों लगाया जाय? चोर तो चोर है, उस को पकड़ना चाहिये। पर लेकिन और परन्तु सम्बन्ध रखता है व्यापारियों से। अब कहते हैं कि मंहगाई इतनी बढ़ गई। क्या गत वर्ष जब लोक सभा के चुनाव हुए थे उस समय जनता क्या भूल गई कि चीनी को इन लोगों ने चौपट कर दिया, गेहू को गुम कर दिया था और पैट्रोल को इन्हों ने पी लिया। और जितने भी चोर थे पहले नम्बर के, चम्बल तक के डाकू, उन को एक ही दिन जयप्रकाश नारायण के सामने खड़ा कर के कह दिया यह तो गांधीवादी है, उन को सर्टिफिकेट दे दिया और वे साधू बन गए। जितने चोर थे उनको तो उन्हों ने साधू बना दिया, और उनसे मिल जुल कर के सारी अर्थ-व्यवस्था को इन्होने बरबाद कर दिया। यह भेड़क टोली की जो सरकार थी, जनता पार्टी, जिन का सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुआ, उन्हों ने सब गड़बड़ कर दिया। कहां जनता पार्टी, जो अब तक तीन रूप बदल चुके है, पहले जनसघ पार्टी कहलाती थी। कहां जनसंघ मार्क्सवादी, कहां जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जब बात सामने आती है तो इनके चेहरे आइने मे सामने नजर आते हैं अगर यह अपना चेहरा देखें तो। कोई भूल सकता है प्याज को जो कि गरीब आदमी खाता है। उत्पत्ति से ले कर आज तक प्याज क्या कभी 5 रुपये किलो बिकी? लेकिन इन के जमाने में वह बिकी जिस को गरीब आदमी रूखी रोटी के साथ खाता है। यह इन लोगों की बदौलत हुआ। और भी इन्हों ने बरबाद किया, अगर सभी बातों की पोल खोलू तो उस के लिये काफी समय चाहिये।

सभापति महोदय: बरबाद खाने वालों को किया या प्याज को किया?

आचार्य भगवान देव: सभापति जी, अगर मैं पोल खोलूगा तो लम्बा भाषण चला जायगा। मैं तो मुख्य मुख्य बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आप ने थोड़ा समय दिया है।

जिस समय लोक-सभा का चुनाव हुआ, क्या आप, मैं और इस देश की जनता भुला सकती है कि पैट्रोल पम्पों पर बहुत बड़ी लम्बी लाइनें लगी हुई थीं और चुनाव में जीतने के बाद जब विधान-सभा के चुनाव होने वाले थे, उस बीच के काल में भारत सरकार ने, हमारे केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रान्तीय सरकारों के लिये तमाम साधन जुटाये और उस समय प्रान्तीय सरकारे विरोधी पार्टियों के हाथों में थीं, चुनाव हुए नहीं थे। उन सरकारों ने सारा पैट्रोल उन लोगों के हाथों में दिया। चीनी, गेहूं, स्टील तमाम प्रकार के पदार्थ जिन नागरिकों को दिये जाने चाहियें थे, उन को न दे कर पीछे के दरवाजे से चोर बाजारी में बेचकर गांव गांव में यह प्रचार किया। ये हमारे खाकी निक्कर वाले, नागपुरी संतरे मैं इन को कहा करता हूं, कबड्डी खेलने वाले।

अभी पीछे अटल बिहारी बाजपेयी जी ने डीजल के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री से प्रश्नोत्तर काल में पूछा कि कैसे हो गया? आज अटल बिहारी बाजपेयी जिन के सम्बन्ध में हमारे पार्टी के लोगों ने आपत्ति उठाई, एक विरोधी पार्टी का जवाबदार व्यक्ति अमरीका गया इन दिनों में, क्यों गया? मुझे सूचना मिली है कि वहां इंटरनेशनल दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र बना हुआ है और **अटल बिहारी जी वहां गये।

एक बात मैं सराकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उस इंटरनेशनल दीन दयाल

*Expunged as ordered by the Chair.

[आचार्य भगवान देव]

उपाध्याय केन्द्र के मंत्री ** हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी के वहां पर एजेन्ट भी बने हुए है। जिस हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी को भारत सरकार आर्थिक मदद देती है और वह मदद ले कर के वहां पर इस प्रकार का कार्य कर रहे है भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस सरकार के साधनों से सरकार के खिलाफ काम हो रहा हो,

सभापति महोदय : आचार्य भगवान देव जी, ...

आचार्य भगवान देव : मैं सरकार से चाहता हूं कि जांच करे। मेरा चेलेन्ज है कि इस प्रकार का संगठन वहां पर है और वह कार्य कर रहा है। वह व्यक्ति हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधि भी है। मेरा आक्षेप है, आप इस की जांच कीजिये।

सभापति महोदय : मेरी बात सुनिये। किसी माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह के आरोप आप तभी लगावें जब कि अध्यक्ष या जो कोई यहां पर बैठा हो, उसे आप सन्तुष्ट करदें, यदि इस के प्रमाण हैं आप के पास, नही तो यह करैक्टर एसेसीनेशन ....

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, यह तो मैं साबित करने के लिये तैयार हूं कि हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधि वहां पर दीन दयाल उपाध्याय केन्द्र का सेक्रेटरी है **

सभापति महोदय : आप शांत रहिये। आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं। मैं आप को इतना ही मना करता हूं, जिस का प्रमाण हो,.... उतना ही कहिये।

आचार्य भगवान देव : मैं ने जो आक्षेप किया है, यहां पर जिस व्यक्ति के लिये किया है, वह स्पष्टीकरण दे सकते है। मेरा यह चेलेन्ज है।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): Sir, I have a point of ordder.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please see Rule No. 353 of the Rules of Procedure. I will read it out for your benefit.

> "353. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply".

सभापति महोदय : मैं आप पर इतना ही बंधन डालना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव : इस देश मे और वहां चोर बैठे है—

दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से,
घर को आग लग गई घर के चिराग से।

यह घर के चिराग घर को आग लगा रहे है, काबे में कुफ्र कर रहे है।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : दूसरे के खिलाफ एलीगेशन लगाया गया है।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

आचार्य भगवान देव : मै नाम नहीं ले रहा हूं, बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जरा बैठ जाइये, जब अध्यक्ष खड़े हों तो कृपया बैठने की आदत डालिये।

**Expunged as ordered by the Chair.

आप जिस तरह से आक्षेप कर रहे है, अगर वह सिलसिला चलता रहा, तो फिर उससे कोई अछूता नहीं रहेगा और परिपाटी एक दम बिगड जाएगी । इसलिए मै आप से कहता हू कि आम तौर पर तो आप कह सकते है, लेकिन नाम न लीजिये ।

SHRI N K SHEJWALKAR That should be expunged

MR. CHAIRMAN· I may point it out to you that I was the first person to take it up; I will go through the record and do the needful.

आचार्य भगवान देव इस बिल मे चोरों को पकड़ने की बात है, लेकिन हमारे देश मे साधु के बेश मे शैतान भी बैठे है, देश भक्ति का चोगा पहन कर चोर-बाजारी को प्रोत्साहन देने वाले भी बैठे हैं । इसलिए मुझे कहना पडता है कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

मैं कहना चाहता हू कि जितने भी चोर चंबल के डाकू और स्मगलर थे, उन लोगो को छोड कर इन्होंने चोर-बाजारी को प्रोत्साहन दिया । इसीलिए चोर-बाजारी बढ़ी है । गत वर्ष चीनी, गेहू और दूसरे पदार्थों के भावों की क्या स्थिति थी ? इन लोगों के कारण चीनी बारह, चौदह रुपए किलो बिक रही थी, मगर आज वह छः रुपये किलो पर पहुंच गई है, क्योंकि दामों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : विचार-विमर्श को चलने दीजिये ।

आचार्य भगवान देव : यह परेशानी इसीलिए हो रही है कि जैसा कि मैने पहले कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है । ये सब इसलिए परेशान हो रहे है कि सौदेबाजी पर आंच आ रही है । इसलिए इन को बड़ी परेशानी महसूस हो रही है ।

मै एक बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दिल्ली मे चुनाव आने वाले है और इन खाकी निकर वालो ने योजना बनाई है कि चुनाव से पहले डबल-रोटी को गुम किया जाए, सर्व-साधारण पर उसका प्रभाव पडेगा। चीनी को गुम किया जाए, मदर डेरी का जो दूध बिकता है, उसको खरीद कर उसका मावा बना दिया जाए, ताकि लोगो को दूध न मिलने पाए। ये लोग इस तरह का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास करने वाले है, ये संकेत हमको मिले है । मेरा उन पर यह आक्षेप है । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध मे जाग्रत रहना है ।

कानून तो पहले भी लाया गया था और अब भी लाया गया है । हम रोज पेपर मे पढते है । अगर पेपर पढने की इजाजत हो, तो मै आपके सामने पेश कर सकता हूँ । हमारा गृह विभाग और हमारी पुलिस, जहाँ भी उनको पता चलता है, वे उन चोरों को पकडने का प्रयास कर रहे है । यह काम योजनाबद्ध ढग से किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। मंत्री महोदय ने कहा कि हम चाहते है कि हम इस बारे मे बैठ कर प्रेम से बात करें । उन्होंने व्यापारियो के साथ बात की है और उनकी बातो को सुना है । उन्होने सब दलो से अपील की है कि वे कोई रचनात्मक सुझाव पेश करे । लेकिन कोई रचनात्मक सुझाव वे पेश करते नही है और गाडी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाते है । विरोधी पार्टियो का काम यही रह गया है कि गाडी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाना । आज उनकी दुकान का दिवाला निकला हुआ है । उनकी पार्टी का कोई नेता इस बारे मे विचार-विमर्श नही करता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को कैसे सुधारना है । आज उनकी गैर-हाजिरी क्या बताती है ? — यह साबित करती है कि चोर-बाजारी को रोकने के सम्बन्ध में उनके इरादे क्या है, वे उसको रोकना चाहते हैं या नहीं ।

[श्री आचार्य भगवान देव]

मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस और अधिकारी अपना काम करेंगे, परन्तु वह एक इनामी योजना शुरू कर दें कि देश का जो नागरिक संग्रह किए हुए भंडार के बारे में सरकार को बताएगा, उसको इतना इनाम दिया जायेगा। इससे बेरोजगार घूमने वाले नौजवान और दूसरे गरीब व्यक्ति यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कहां-कहां चोर-बाजारी का भंडार भरा हुआ है। उससे आपको माल सरलता से मिलेगा। चोरों का भी पता लगेगा और जो माल संग्रह कर के लोग रखे हुए हैं उस का भी पता लगेगा। उसके पीछे किस का सम्बन्ध है उस की भी पोल खुल जायेगी। तो इनामी योजना, सार्वजनिक लोगों को इनाम देने की योजना माननीय मंत्री जी शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि देश के दीवाने नौजवान गली गली में जा कर किस तरह उन के गोदामों के ताले खुलवाते हैं और उन के काले कारनामों को जाहिर करने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उस का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक सामने है जो देश की हालत है, आवश्यक वस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, वस्तुओं की उपलब्धि के बीच उन का अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगी का पैदा हो जाना, ऐसे स्थिति में स्वभावतः सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उस को देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले है उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है कि क्या यह सरकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह चाहती है? क्या यह सरकार इस को लागू करने का इरादा रखती है? मैं अभी नीयत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वस्तुस्थिति वहां तक जाने को मजबूर करती है।

हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं। जो उन्होंने कहा है सही है। उस से ज्यादा कहना भी सही होगा। देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकांश वही लोग थे जो उस के पहले शासक दल के ही उसी कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। इसलिए नीतियों के जरिए महंगी बढ़ाने मे और चोर व्यापारियों को छूट देने मे एक दूसरे से होड़ लेने में वे लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा जनगण को लूटने में चोर-व्यापारियों को मदद करे। जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस (आई) के रूप में देश के पूंजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है। दोनो के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है।

अभी चीनी का जिक्र हुआ। जिस समय यह सरकार आई चुनाव के बाद, उस से पहले जनता पार्टी को सरकार ने चीनी को कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटाई। कहा गया कि देश में चीनी ज्यादा हो गई इसलिए, गन्ना की कीमत ढाई रुपए क्विंटल कर दी गई है लेकिन चीनी की कीमत 2 रुपये 15 पैसे से बढ़ा कर 2 रुपये 30 पैसे किलो कर दी। फिर नियंत्रण हटा कर और फिर नियंत्रण लगा कर 2 रुपये 80 पैसे किलो और खुले बाजार में चार सवा चार रुपये किलो चीनी की कीमत कर दी गई। तो गन्ने की कीमत घटा कर और चीनी की कीमत बढ़ा कर खुले आम जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से अपने काम के द्वारा यह कह दिया कि किसान चूंकि गन्ना पैदा करते

इसलिए उस की कीमत घट जाय और करोड़पति चूंकि चीनी मिलों के मालिक हैं, उसका मुनाफा करोडपति लेते है इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया गया । इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मतदाताओं, यह करोडपतियो के हुक्म पर चलने वाली सरकार है ।

जब नई सरकार आई प्रधान मंत्री जी ने जनता के सामने खुला एलान किया कि दाम को बांधूगी । हम को बहुमत दीजिए । विशाल बहुमत मिला । वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए है और दाम बाधा गया । चीनी का दाम चार रुपये किलो था । ऐसा कस कर बाधा कि उसका दाम बढा नही हुआ क्या ? दाम कूदा कीमत ने छलाग मारी । चार रुपये से सवा चार साढे चार से पाच रुपये किलो कीमत नहीं हुई, 8 रुपये, 10 रुपये और कही कही 12 रु० किलो हो गई और इस तरह से इस नई सरकार ने नये रूप से करोडपतियो से कह दिया कि ज्यादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेस (आई) कर सकती है और कर रही है ।

यहा पर गल्ले का जिक्र आया । सरकार का दावा है कि देश में गल्ले का उत्पादन ज्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खास कर इस इलाके से यहा आते हैं जहा के किसानो ने मेहनत करके उत्पादन बढाने मे अगली कतार मे अपनी जगह बना ली है। किसानो का गल्ला बिक गया लेकिन सरकार के भण्डार मे गल्ला नही आया, गल्ला बडे थोक व्यापारियों के हाथ मे चला गया या फिर गाव के जो कुछ बडे बड़े काश्तकार हैं जोकि हदबन्दी से ज्यादा जमीन लिए हुए हैं, उनके हाथ में बाकी रहा। इसलिए हमे मजबूर हो कर विश्व बाजार से गल्ला खरीदने के लिए जाना पड रहा है। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी इस बात की सफाई करेगे कि उस गल्ले की जो कीमत हमारे मुल्क मे आने पर पडेगी उस मे और हमारे उगाही मूल्य मे क्या फर्क पडेगा ? हम कितना लाभ में रहेंगे ? क्या मूल्य बढा कर उस गल्ले की उगाही मे देश मे ही हम सफलता प्राप्त नही कर सकते थे ? क्या विदेशो से गेहूं मंगाए बगैर हमारा काम नही चल सकता था ?

आज सरकारी दल के लोगो को विचार कर यह कहने मे बडी हिम्मत की जरूरत है कि वे चोरबाजारी के खिलाफ हैं क्योकि जहा तक महगाई का सबन्ध है, पिछले साल के बजट के समय, 80-81 के बजट के समय, वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कीमतें घटेगी लेकिन कीमतें बढी तेज रफ्तार से बढी। दोबारा मत्री जी ने कुछ महीनो के बाद कहा कि कीमतें प्लैट्यू पर पहुच गई है, अब नीचे की ओर ही आयेगी लेकिन वह नीचे नही गिरी, उपर बढ गई उसके बाद फिर वित्त मत्री जी ने कहा कि अब हद हो गई है, कीमते गिरेंगी लेकिन कीमतें फिर आगे बढी। इसके बाद इस प्रकार सरकार ने खुल्लम खुल्ला चोरबाजारियो को, तस्करो को और काला धन रखने वालो को छूट दे दी। जैसा कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, उनकी भाषा मे मैं बोलना चाहता हू कि चाहे चोरी का धन हो, चम्बल घाटी का धन हो, डाके या तस्करी का धन हो, सरकार हिसाब नही पूछेगी तुम बेयरर बाण्ड खरीद लो, इस तरह से तुम्हारा काला धन उजला हो जायेगा, नाजायज धन से जायज धन हो जायेगा। इस तरह इस सरकार ने इतना बडा विश्वासघात अपने मतदाताओ के साथ किया, अपने एलानो के साथ किया और अपनी प्रतिज्ञा के

[श्री भोगेन्द्र झा]

क साथ किया। दिनदहाड़े देश के काले धन को सफेद करने के लिए इस सरकार ने एक ऐसा अनैतिक काम किया जिसको करने में किसी भी सरकार के साथ हाथ कांपने चाहिए थे और किसी भी बोलने वाले की जबान कांपनी चाहिए थी।

आज हमारे सामने जो विधेयक आया है उस में कई जगह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजिर का जिक्र है। मैं कृषि मंत्री तथा इस पूरी सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर मेरे हाथ में है, इसकी जो नयी धारा 110 चली थी उसके लिए बनाई गई संयुक्त प्रवर समिति का मैं भी मेम्बर था। इस धारा को जोड़ को इस बात की व्यवस्था की गई थी कि एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट, जिस में संशोधन करने के लिए हम आज विचार कर रहे हैं उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 110—सी० आर० पी० सी० के मातहत कार्यवाही की जायेगी, अगर किसी अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाए कि उसका उल्लंघन वह कर रहा है। 1974 में यह कोड लागू हो गया था उसके बाद सात वर्ष बीत गये हैं, ढाई वर्ष जनता पार्टी के रुप में और बाकी साल कांग्रेस या कांग्रेस (आई) के रूप में पूंजीपतियों ने शासन किया। मैं जानना चाहूंगा कि समूचे भारत-वर्ष में इस बीच क्या किसी एक भी थोक व्यापारी या व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंगज चलाई गई जिसने एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट का उल्लंघन

16.00 hrs.

किया हो या उल्लंघन करने का प्रयास किया है। क्योंकि उस के लिए धारा 110 के अन्दर कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं थी। सारे भारत में एक भी मुकदमा कांग्रेस शासित राज्य में, यूनियन टेरेटरी में, किसी भी राज्य में एक भी मुकदमा इन सात वर्षों में नहीं किया गया। 110 की उपधारा-एच० (ई) एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही चलेगी। इस तरह यह पूरा कानून जिसके मुताविक सारे भारत में सभी दंड के लिए प्रक्रिया सन्निहित है, उस मे आर्थिक दंड के लिए प्रावधान किया, 1974 के एक्ट मे यह शक्ति भारत सरकार को दी, राज्य सरकारो को इस पर कार्यवाही करने के लिए दी गई। लगातार देश में मंहगाई बढ़ती गई, लगातार कानून का उल्लंघन होता गया और उपभोक्ता तबाह होता चला गया लेकिन एक भी चोर-व्यापारी एक भी थोक व्यापारी पर सी० आर० पी० सी० की धारा-110 के मातहत कोई कार्यवाही नही की गई। उसका परिणाम क्या हुआ-सजा हो या न हो; लेकिन विशेष प्रावधान की आवश्यकता है या नही है, यह बाद की बात है। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या देश बिश्वास करेगा कि आप को सत्य की कमी थी, इसलिए आपने नहीं किया।

सभापति महोदय : श्री झा, आपको कम से कम कितना और समय लगेगा ?

श्री भोगेन्द्र झा : आप जो सीमा देंगे, मै उस में खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप तीन-चार मिनट और ले लीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिए जो कानून आपके हाथ में है, उसका अपवाद के लिए भी एक बार भी आपने उपयोग नहीं किया, आज तक भी नहीं किया। मैं समझ रहा हूं कि आप गृह मंत्रालय से मसाला लेकर जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर एक भी प्रोसीडिंग नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। क्या आप देश के सामने कबूल करेंगे कि आज तक एक भी व्यक्ति ने नियम का उल्लंघन नहीं किया और अगर नहीं किया तो आज इस संशोधन की आवश्यकता कैसे आ पड़ी। एक नया कानून लेकर, संसद का समय खर्च करके आप पर कैसे भरोसा किया जाए कि आप इसका उपयोग करेंगे। इसलिए कम या अधिक का मामला नहीं है, पूरी तरह से भारत सरकार अपने कानून का उल्लंघन कर रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक नामलिहाजी कार्यवाही भी नहीं कर रही है।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो वृद्धि होती चली जा रही है, जो कुछ कानूनी शक्ति आप ले रहे हैं और जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी और दूसरे मित्रों ने जो कहा, उसका खण्डन करने की हालत में मैं नहीं हूं, हो सकता है कि उसमें बहुत सी बातें सही हों, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह शक्ति लेकर के आप खुद निर्दोष व्यापारियों को तबाह करने के लिए साधन तो लेना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चोरी के माल को खुली छूट दे रहे हैं, काले धन को उजला धन बनाने के लिए एलान करते हैं, कानून बनाते हैं और व्यापारियों के खिलाफ सी० आर० पी० सी० की धारा 110 के तहत कार्यवाही नहीं करते हैं, तो यह कैसे विश्वास किया जाए कि आप भारत के व्यापारियों के खिलाफ इसका उपयोग करेंगे। आप भारत के व्यापारियों से उसी दिल्ली के चुनाव के लिए धन तो नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक इसी मौके पर। बड़े से धन लेकर उनको छूट देकर क्या खुदरा वालों को तबाह करने तो नहीं जा रहे हैं। जो अनुभव अब तक का है जो रिश्वत न दे सकें वे तबाह हों, जो मोटी रकम आपको चन्दे में न दे सकें। वे तबाह हों और जो कुछ उपभोक्ता हैं, वे तबाह हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जैसा कि प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए नहीं—बड़ी, रियायत की गई है—मुनाफे के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए अगर कोई सामान खरीदे और हमें पता लगे कि कानून का उल्लंघन करके उसने खरीदा है—मतलब कि घर में कोई मर रहा हो बच्चा बीमार हो तो चीनी खरीदी है और उसका उल्लंघन करके उसको खरीदना पड़ा है तो ऐसी हालत में उसको जेल नहीं किया, मंत्री जी बड़ी दया करेंगे सिर्फ उस पर जुर्माना होगा। किस पर? उपभोक्ता पर—यह स्थिति है।

इसलिए, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश को आशंका है, हमें भी आशंका है कि आप इस कानून का उपयोग बड़े को छूट दे कर और छोटे के खिलाफ इस का प्रयोग कर के करेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देश के थोक व्यापारियों ने देश के 68 करोड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह कब्जा किया था—आप की मदद से। एक भी थोक व्यापारी भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो अपने धन से थोक व्यापार करता हो, सब बैंक से रुपया ले कर गल्ला खरीद कर बैंक के गोदाम में रखते हैं और सब माल गोदामों में चला जाता है। हमारे वित्त मंत्री महोदय एडम-स्मिथ, मार्शल से ले

[श्री भोगेन्द्र झा]

कर केन्ज तक चले जाते हैं, उनके अर्थ-शास्त्र के आधार पर, जो अर्थ-शास्त्र साबित हो चुका है, देश में अनर्थ किये जा रहे हैं माल गोदाम में बन्द हो गया, उपभोक्ता गोदाम में नहीं गया वह बाहर ही रह गया और माल की कीमतें बढ़ने लगी, उस के बाद उस माल को गोदाम से बाहर निकाल कर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। इस तरह हमारी ही दियासलाई से हमारे ही घर को आग लगाई जा रही है। हमारे पैसे से बैंक के पैसे से, थोक व्यापारी देश की जनता को लूट रहे है और आप लूटने दे रहे हैं, काले धन को बनने दे रहे है और दूसरी तरफ नये अधिकार मांग रहे हैं।

इस लिए हमें आशंका है, खास कर खुदरा व्यापारियों के लिए आशंका है, उपभोक्ताओं के लिए आशंका है मगर इन सब खारों के बावजूद हम आप को यह अधिकार देना चाहते हैं ताकि आप उन थोक व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें जो कोई उत्पादन नहीं करता है, बिना कुछ किये हुए मुनाफ़ा बटोरता है। इस लिए इस विधेयक का समर्थन तो कर रहा हूं मगर जो आशंका है उस को भी जाहिर कर रहा हूं। मैं सरकार से चाहूंगा कि कम से कम उपभोक्ताओं के खिलाफ किसी भी हालत में इस का इस्तेमाल न हो, खुदरा लोगों को इस से बचाया जाये, देश में जो करोड़ों खुदरा दुकानदार हैं उन पर चोट न पड़ने पाये, जो देश के थोक व्यापारी हैं, जो बड़े लूटने वाले लोग हैं उन पर इस का प्रहार हो और इस दिशा में जो संशोधन दिये गये हैं उन को भी आप स्वीकार करें।

हमारे एक माननीय सदस्य ने एक इनामी योजना का सुझाव दिया है--मैं समझता हूं जन-सहयोग लेने का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को थोक-व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के हाथों थोड़ा दण्डित होना पड़ेगा, फिर भी प्रोत्साहन का प्रावधान इस विधेयक में अवश्य होना चाहिए।

श्री जैनुल बसर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इन बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक सरकार की इस मंशा का ताल्लुक है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से रोका जाय और आवश्यक वस्तुयें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकें, इस मंशा को पूरा करने में जितना भी सहयोग इस माननीय सदन से वह चाहेंगे, उन को अवश्य मिलेगा।

सभापति जी, मुझे इस सम्बन्ध में में कुछ बातें अर्ज करनी है। इस मामले में कई कानून पहले भी बनाये जा चुके हैं, इस समय भी बना रहे है और आगे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन कानूनों को इम्प्लीमेण्ट करने की जो एजेन्सी है वह हमारे पास नहीं है। कानूनों का इम्प्लीमेण्टेशन राज्य सरकारों की मशीनरी के द्वारा, उन की एजेन्सी के द्वारा होना है दुःख के साथ हम यह कहना चाहते है कि इन का इम्प्लीमेंटेशन और विशेषकर इस कानून का इम्पलीमेंटेशन आधे दिल से किया जा रहा है। शायद रिकार्ड की खाना-पूरी के लिए ऐसा किया जा रहा है और वाकई में ब्लैक-मार्केटिंग को रोकने के लिए इन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रभावी ढंग, बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। जितने भी केसेज इस कानून के अन्दर सामने आए हैं और जो भी कार्यवाही की गई है, उस को अगर हम गौर से देखें, तो हम को यह मिलेगा कि, जैसा कि अभी उधर से बोलने वाले सदस्य कह रहे थे, बड़े-बड़े मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ़, बड़े बड़े ब्लैक-

मार्केटियर्स के खिलाफ, जो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दे रहे हैं, उन से पैसा ऐंठ रहे हैं, उन के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उन के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिन के यहां चैकिंग करने पर एक या दो टिन मिल गये या किसी ने प्राइस लिस्ट भी नही की थी या कोई टेक्निकल खामी उन के रजिस्टर मे थी या उनके स्टाक में मिल गई थी, जिस से कोई बहुत बडा फर्क नही पड जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई है। जिन लोगों ने गाली दी, उन के खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन जिन्होंने कत्ल किया है, उन के खिलाफ कार्यवाही बहुत कम हुई है। तो सब से बड़ा सवाल यह है कि आप कानून से चाहे जितनी ताकत ले लें, जितने भी अधिकार आप चाहे प्राप्त कर लें, लेकिन उन का उपयोग ठीक प्रकार से नही हो रहा है। आज जो हमारी मंशा है, जो हमारी सरकार की मंशा है और इस माननीय सदन की मंशा है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से रोका जाए, वह रुक पा रही है या नही रुक पा रही है, यह सब से बड़ा सवाल है। इसलिए मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसा हल ढूंडा जाए, जिस के जरिए इस कानून को लागू करने मे केन्द्रीय सरकार का हाथ हो, कोई चैकिंग का माध्यम हो। किस प्रकार का कोई माध्यम हो, उसका कोई नक्शा मेरे सामने नहीं है। मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका जरूर निकाला जाए, जिस के जरिए राज्य सरकारों पर कोई अंकुश हो और राज्य सरकार यह काम कर रही है या नहीं कर रही है, उन की देखभाल भी हो। मुझे याद है कि जब यह कानून पास हुआ था तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने, केरल की सरकार ने और कई सरकारों ने, जो हमारी पार्टी की नही थी, उन्होंने कहा था कि हम इस कानून को लागू नही करेंगे। अगर वे इस कानून को लागू नही करती है, तो आप क्या करेंगे ? आप के पास कोई अधिकार है कि इन कानूनों को आप लागू करायेंगे, इस के बारे में आप ने क्या सोचा है ? जब मंत्री जी इस बहस का जवाब दें, तो वे इस बारे में बताए। जब प्राइस इण्डेक्स बढता है, जब कीमतें बढ़ती है, तो किस की बदनामी होती है? राज्य सरकारें तो यह कह देती हैं कि कीमतें रोकना हमारे बस में नही है और कीमतें केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ें, तो उस के जिम्मेवार हम। कीमतें बढ़ने का जवाब हम को देना पड़ता है और उन को रोकने के लिए जब हम कोई कानून बनाते है, जब उन को रोकने के लिए कोई तरीका अपनाते है, तो राज्य सरकारें उसमे सहयोग करने के लिए तैयार नही है और हम को पूरा सहयोग नही मिलता है और बदनामी हमारी होती है। तो इस के लिए मंत्री जी क्या कर रहे है। कानून मे आप चाहे जितने अधिकार ले लीजिए लेकिन उन अधिकारो का अगर राज्य सरकारे उपयोग नही कर रही है, उन का ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नही कर रही है, तो आप क्या करेंगे। इस के बारे में कुछ सोचिए, यह मै अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि देश मे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितने प्रभावी ढंग से काम करनी चाहिए, उतने प्रभावी ढंग से काम नही कर रही है। कई वर्षों से जबकि, हमारी सरकार थी, और उसके बाद जब कि जनता पार्टी के जमाने मे एक बहुत ही सुयोग्य मंत्री श्री मोहन धारिया थे, के जमाने से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे मे सुना जा रहा है कि यह किया जाएगा, वह किया जाएगा लेकिन अब तक कुछ नही हो पाया है। बहुत-सी बातें इस बीच

[श्री जैनुल बसर]

सामने आयीं लेकिन हम आज तक पूरे देश में एक पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम बनाने में असफल रहे है। सिस्टम तो क्या अभी तक हम उसका खाका भी नहीं बना सके है। इसके इम्प्लीमेण्टेशन की बात तो दूर रही, अभी तक पूरे देश के लिए हम एक खाका भी तैयार नहीं कर सके है। किसी प्रदेश में कोई खाका है, किसी में कोई खाका है। चूंकि अभी तक हम पूरे देश को एक ईकाई समझ कर इसका एक खाका नहीं दे सके है इसलिए जो जरूरी सामान है वह भी हम लोगों तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पा रहे है।

हमारे उत्तर प्रदेश में यह महसूस किया गया कि प्राइवेट दुकानदार इसमें बेईमानी कर रहे हैं, जरूरी चीजों की ब्लैक कर रहे है, लोगों को सामान नहीं पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके हाथ से यह सिस्टम ले लिया और कोआप्रेटिव्ज को दे दिया। जितनी कोआप्रेटिव्ज थीं उनको दुकानदार बना दिया। वहां भी हम को सफलता नहीं मिल रही है। चीनी और दूसरे सामान अब भी लोगों को ठीक से नही पहुंच पा रहे हैं। कोआप्रेटिव्ज में भी वही बात पैदा हो गई है। वही हालत हो रही है जैसी कि पहले थी। पता नहीं कोआप्रेटिव्ज के कानून खराब है या उन्हें ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनमें कौन-सी खामियां है जिनसे कि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को ठीक से काम करने लायक नहीं बना सके है। मंत्री जी इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा तो अपना सुझाव जो कि मै पहले भी दे चुका हूं कि हमें एक सिविल सप्लाईज कोरपोरेशन बनानी चाहिए जो कि पूरे देश के पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम का काम अपने हाथ में ले। एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी मशीनरी बनानी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन हमें ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि जगह जगह पर सरकार की तरफ से दुकानें खोले और लोगों को सामान पहुंचाए। मैं मानता हूं कि यह कठिन काम है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पूरे देश को पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के लिए सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के जरिए से एक ईकाई के तहत ला सकते हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से चला सकते हैं तो काफी खामियां और कमियां दूर की जा सकती हैं।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं ....

सभापति महोदय: आखिरी सुझाव।

श्री जैनुल बशर: इसके बाद एक और सुझाव होगा।

एक सुझाव मै मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन के जिम्मे इस कानून पर अमल की व्यवस्था है, अगर वे ठीक ढंग और प्रभावी ढंग से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था चलना मुश्किल होगी। अगर वे इसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो यह व्यवस्था चल सकती है लेकिन जब वे व्यापारियों के साथ मिल जाते हैं, जैसा कि हो रहा है तो उन के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस एक्ट के मुताबिक कार्यवाही हो सकती है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि नहीं हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था है कि रेड करने वाली जीप बिना बताये जिले में जा कर रेड करती है और गलती करने वाले व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। लेकिन उस जिले का जो कर्मचारी है, जो अफसर है उस के खिलाफ

कोई कार्यवाही नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि उन के खिलाफ कार्यवाही की जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । मंत्री जी की तरफ से राज्य सरकारों को स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिएं कि वे ब्लैक मार्किटिंग करने वाले, होडिंग करने वाले लोगों से मिले हुए कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें ।

सभापति जी चौथा और आखिरी सुझाव देना चाहता हूं जिसे हमारे माननीय दोस्त ने भी दिया है । सभापति महोदय, इस एक्ट के मुताबिक छोटा जुर्म करने वाले और बड़ा जुर्म करने वाले लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है–जो गाली दे उसको भी वही सजा और जो कत्ल करे उसको भी वही सजा– यह बात मुनासिब नहीं है । बहुत सी टैक्नीकल चीजें होती हैं–बहुत सी टैक्नीकल गलतियां होती हैं, जैसे रजिस्टर ठीक नहीं है, रजिस्टर में तारीख नहीं दी है, किसी की मूल्य-सूची गलत है या मूल्य-सूची प्रदर्शित नहीं की है या स्टाक में एक-दो डिब्बे या टिन बताने की गलती हो गई है– दो–चार टिन का फर्क पड़ गया है, यह कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, उस के लिए भी वही सजा है जो बहुत ज्यादा स्टाक किए हुए है, या पांच रुपए प्रति बोरी ब्लैक कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी वही सजा । मैं समझता हूं कि इस को कैटगराइज किया जाना चाहिए– छोटा जुर्म, बीच का जुर्म और बड़ा जुर्म, इसी तरह से सजा होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं–वह यह है कि आज जो एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं–जब भी किसी चीज की कमी होती है तो ये व्यापारी को डरा-धमका कर, जान से मारने की धमकी दे कर माल उठा लाते हैं और उस को ब्लैक में बेचते हैं–व्यापारी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, उसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता, पुलिस उस को मदद नहीं देती और मजबूरन वह गुण्डा एलीमेंट्स को सामान दे देता है और किसी प्रकार से खाना पूर्ति करता है । मेरा निवेदन है कि इन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं, बदमाश लोग हैं, उन को भी स्पाट-आउट किया जाना चाहिए और उन के खिलाफ भी इस एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

इन सुझावों के साथ मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे ज्यादा समय दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, यह जो बिल सदन में पेश है, जिस पर सदन विचार कर रहा है, इस में सरकार का इरादा यह है कि जो चोर-बाजारी हो रही है या जो सामान लोगों को नहीं मिल रहा है, उस को कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए और जो चोर बाजारी करने वाले हैं, उन के खिलाफ कार्यवाही की जा सके और उन को सजा दी जा सके । इस इरादे से यह बिल पेश किया गया है ।

सवाल यह है कि सरकार का यह इरादा क्या एक्ट बनने के बाद पूरा होगा ? इस विषय पर दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपना शक-शुबहा व्यक्त किया है । महज कानून बन जाने से ही अगर कार्य हो जाए तो इससे सरकार को निराशा ही होगी ।

इस देश में कानूनों की कमी नहीं है । जो कानून पहले इस देश में है– वगैर कोई नया कानून बनाए, उन्हीं कानूनों में ऐसी व्यवस्था है कि चोर-बाजारी करने वालों के खिलाफ, काला धन बटोर कर उस का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ और अभाव की स्थिति से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को करने में नाकामयाब रही है । आज सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज इस देश के अंदर आदमी को उसकी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आमदनी की सीमा के अंदर खाना, कपड़ा और मकान दिलाने मे यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है । आज इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे है जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं । जिनकी आमदनी एक रु० बीस पैसा प्रतिदिन भी नही है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक रुपया बीस पैसे मे तो यदि आदमी खीरा खा कर भी जीना चाहे तो नहीं जी सकता । खीरा खाकर भी वह अपना पेट नही भर सकता । आज 40 करोड़ ऐसे आदमी इस देश के अदर रह रहे है जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है । हिन्दुस्तान दुनिया का तन्हा ऐसा देश है जहा दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी, सबसे ज्यादा तबाह आदमी रहता है ।

चीन के अन्दर भी आज पश्चिमी देशों के लोग और पूर्वी देशों के लोग जा कर के देखते है और कहते हैं कि कम से कम उस देश मे खाना, कपड़ा सब लोगो के लिये है । लेकिन हमारे यहा सबसे ज्यादा गरीब और बेकार लोग है और खाने, कपडे के लिये तबाह है । मै समझता हू कि सरकार को सजीदगी से सोचना चाहिये कि इस कानून से इस देश की गरीबी दूर नही होगी । इस कानून से देश मे काला धन जिसकी पैरलल इकोनामी चल रही है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है । सारी की सारी जड़ यह है कि सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियां इस देश के 20 प्रतिशत लोगो के हक मे है, और 80 फीसदी आदमी इन गलत नीतियों के कारण तबाह हो रहे हैं ।

हर योजना के बाद देश मे करोडो की संख्या मे बेकारी बढ़ रही है । मुद्रास्फीति को रोकने मे सरकार बिलकुल असफल हुई है । मैं जानना चाहता हू हूं कृषि मंत्री जी यह बिल ला रहे है, इस देश में किसानो ने सबसे ज्यादा अनाज पैदा किया फिर क्यो आपका प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य पूरा नही हुआ ? यहां के किसानो को 150 रु० प्रति क्विटल सरकार नही दे पायी, लेकिन अमरीका से गेहूं 200 रु० प्रति क्विंटल खरीद रही है. । क्या कोई कानून आप लायेंगे इस देश में जिन्होंने गेहूं पैदा करने के बाद, किसानो को लूट कर के अपने घर भरे है, उनके खिलाफ कुछ करेंगे ? आपको मालूम है कि 350 रु० क्विटल गेहू तमिलनाडु मे बिक रहा है, 400 रु० क्विटल बम्बई मे बिक रहा है । 130 रु० के भाव से किसान से खरीद लिया और दो महीने के अदर ही वही गेहू 350 रु० और 400 रु० के भाव से बिक रहा है । तबाह हो रहा है किसान यहा का । कोई नीति है आपकी ? क्या आपको मालूम है इसी दिल्ली मे सीमेंट 100 रु० बोरी बिक रहा है । क्या किसी गरीब आदमी को 5 बोरी सीमेंट मिल सकता है ? नही । आप बम्बई मे जाइये, वहा के चीफ मिनिस्टर से पूछिये वहा दो दफतर खुले हुए है, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर 5,000 रु० डोनेशन दे दीजिये और 30 रु० बोरी के हिसाब से सीमेन्ट ले लीजिये । दूसरी जगह 15,000 रु० डोनेशन दीजिये और 15 रु० बोरी के हिसाब से जितनी बोरी सीमेंट चाहिये ले लीजिये और बड़े बडे मकान बना लीजिये । लेकिन एक गरीब आदमी को, झुग्गी झोंपड़ी मे रहने वाले को एक बोरी सीमेंट नही मिलता । वह 150 रु० फी बोरी ब्लैक मे सीमेंट खरीदता है ।

आज इस देश मे वित्त मंत्री कहते है कि ब्लैक मनी इकोनामी नहीं रोकी जा सकती है । उसकी पैरलल इकोनामी यहां हो गई है 35 साल के बाद गैर

करने की जरूरत है कि नहीं ? खाली कानून बना देने से एक साइकोलाजी बन जायगी जो तबाही कर देगी । आपने बहुत सी चीजों पर अनावश्यक कंट्रोल लगा रखा है । क्या आप में हिम्मत इस बात की है कि जो अनावश्यक कंट्रोल है उसको तोड़ सके ? एक एक जिले के अन्दर आपने मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है । उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले मे गेहूं नहीं जा सकता । हरियाणा से पंजाब मे नहीं जा पायेगा । सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को खाने का मौका मिलता है। वह गेहूं तमिलनाडु की आटा मिलें खरीद लेती हैं लेकिन साधारण आदमी को नही मिलता । गरीब आदमी अपने यहा शादी विवाह के मौके पर सूजी खरीदता है तो उसे तिगुने दाम देने पडते है । आज सरकार को सर्जीदगी से सोचना चाहिये और मानना चाहिये इस तथ्य को कि हिन्दुस्तान जैसे देश मे जहा आधे से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा पर रहते है, जहा 80 फीसदी लोग गरीब है और उनकी आमदनी कम है, उनके लिये पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की नीति जरूरी है, और यह राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अंग बननी चाहिये । हर हजार व्यक्ति के ऊपर एक सस्ते सामान की दुकान होनी चाहिये, चाहे गाव हो या शहर सारे देश के अन्दर सरकार को दो साल के अन्दर इस बात का निर्णय लेना चाहिये कि सारे देश के अन्दर हजार आदमी के पीछे एक सस्ते सामान की दुकान खुलेगी और गावों मे भी सामान मिलेगा और शहर में भी मिलेगा । कम से कम अनाज, सस्ता कपड़ा, उसके खाने का तेल, मिट्टी का तेल, चीनी और दवा उन दुकानों पर मिलेगी ।

दूसरी चीज, श्रीमन्, आज इस देश में जो बडी मैनुफैक्चरिंग यूनिटस है, आज पैसा कहां जाता है । आपने कभी इस पर गौर किया जो बडे बडे कारखाने सामान पैदा करते हैं 10, 15 फीसदी उनका मुनाफा है । और इसके बाद मार्गी की सारी रिटेल की एजेंसी ..

होलसेल की एजेन्सी आज बड़े मिल-मालिकों ने अपने रिश्तेदारों और अपने सम्बन्धियों को देनी शुरू कर दी हैं जब उन से रिटेलर खरीदने जाता है चाहे दिल्ली का हो आजमगढ़, बनारस या पटना का हो, छोटा हो तो वहा 25 फीसदी पहले उसे ब्लैक में पेमेंट करना पडता है । 25 फीसदी पे करने के बाद तब उस को सामान मिलता है । जब वह उसे लाता है, 10 फीसदी अपना मुनाफा लेता है इस तरह से सामान जिस कीमत पर मिलता है, डेढ़, दो गुना उसकी कीमत बढ जाती है ।

कौन आज एजेन्सी कर रहा है ? क्यो नही आप व्यवस्था बनाते कि घूमकर जो यह सारा पैसा बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिटो के पास जाता है, जिस को सरकार अपने पास लेगी, चाहे को-आपरेटिव की व्यवस्था हो, चाहे बेकार नौजवानो को सस्ती दुकानों के खोलने का इंतजाम कीजिये । आज करोडो नौजवान इस देश मे बेकार है

एक-एक ग्राम मे गाव वालो से कहिये कि जिनको आप फैसला करिये, उस को दुकान दीजिये और यह 6, 7 सामान वह आप को 10 फीसदी मुनाफा लेकर देगा । उस का फैसला कर के दुकान दीजिये । क्या कभी सोचा है इस बारे में आप ने ?

केरल और बंगाल का नाम अभी हमारे जैनुल बशर साहब ले रहे थे । केरल और बंगाल में तो हर गांव में सस्ते गल्ले की

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दुकानें खुली हुई हैं । कम सामान है, लेकिन कम सब को मिलता है । कम-से-कम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आजादी के बाद से फेयर प्राइस शाप खोलकर यह चीजें देने की कोशिश की है, चाहे कम मिलती हों, या ज्यादा मिलती हों ।

मैं कहता हूं कि आज 4 सरकारों को छोड़कर सारी की सारी सरकारें कांग्रेस (आई) की हैं । सारे देश में सूबों में भी और सैंटर में भी, क्या दिक्कत पड़ती है ? आप नियम बनाइये, मंत्रियों से कहिये कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार की विल-पावर हो तो मंत्रियों से कहना चाहिये कि यह काम करिये, सस्ते गल्ले की दुकान, सस्ते सामान की दुकान खोलिये, इसको रोको, नहीं कर सकते हो तो तुमको छोड़कर जाना होगा. सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, मंत्री को जाना पड़ेगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर इस देश के गरीबों के हितों को प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को हमारी नेशनल इकनामी और नेशनल स्ट्रक्चर का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिये और यह करना चाहिये कि तब तक यह दुकानें खुली रहेंगी जब तक हम इस देश में उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाते जब कि खुशहाली हो ।

आप इसके लिये पब्लिक ओपिनियन के लिये जाइये, मैं किसी पार्टी को दोष देने के लिये यह नहीं कहता, लेकिन आज आम जनता यह महसूस करती है कि आज दुकानों पर प्राइस लिस्ट क्यों नहीं टंगी । एमर्जेंसी में प्राइस लिस्ट एक-एक दुकान पर टंगी हुई थी, एक-एक आदमी को उसके मुताबिक बेचना पड़ता था । आज प्राइस लिस्ट टांगने के लिये जरूरी नहीं है कि एमेंजेन्सी लगाई जाये । प्राइस लिस्ट के लिये आप मजबूत इरादे से फैसला कीजिये । अगर दिल्ली में उस जमाने में कांग्रेस कमेटी बनी तो आज कोई कमेटी बनाकर क्या वाच-डाग कमेटी नहीं हो सकती ? क्या उसके लिये एमजन्सी चाहिये ? आज क्यों नहीं यह कमेटी बनाई जा सकती और प्राइस लिस्ट नहीं टंग सकती ? आज क्यों नहीं कंज्यूमर्स मूवमैंट को मजबूत करने के लिये सरकार प्रोत्साहित करती ? उसकी वजह है चूंकि रूलिंग पार्टी चुनाव के लिये बड़े-बड़े ट्रेडर्स, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से पैसा लेती है और उसी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं । आज यह सचाई है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत, गलत ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज इसको कोई इंकार नहीं कर सकता । आप भले ही हाथ हिलाइये, मगर यह सच्चाई है, इसको आप इंकार नहीं कर सकते ।

आज की पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की यह जो व्यवस्था है, वह इतनी गलत है कि इस पर सोचना पड़ेगा । चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश में चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं ? मैं कहता हूं कि सरकार इस बारे में फैसला करे । आप तो रूलिंग पार्टी है, आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, मगर चुनाव के अंदर परिवर्तन नहीं किये गये तो आज हालत यह है, हम सब को ही चुनाव लड़ने पड़ते हैं, एक-एक चुनाव पर 5,5 और 7,7 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है और यह मजबूरी में खर्च करना पड़ता है । मैं यह

किसी एक पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूं, देखना पड़ेगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाये। अगर बाई-इलैक्शन हो जाये तो उस पर 10 गुना खर्चा बढ़ जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी लड़े। आज चुनाव के खर्चे का, पैसे का स्रोत बिज़नेसमैन है, ट्रैडर है, कारखाने का मालिक है। अब चुनाव के लिये पैसे लिये जाते है तो आपको हिम्मत घट जाती है। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती---उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। यह सच्चाई है कि कानून बनाने से ये बुराइयां दूर नहीं हो सकती।.

आज बढ़ती हुई कीमतें इस देश की आम जनता को तबाह कर रही है। एक-एक आदमी आज परेशान है। इस लिए आज सरकार को एक नैशनल प्राइस पालिसी और एक नैशनल प्राफिट पालिसी, इन दोनों को बनाना पड़ेगा। जहां तक देश के पूंजीपति का संबंध है, अगर कोयले का दाम बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया और मज़दूर की तनख्वाह बढ़ गई, तो वह बम्बई, कलकत्ता या कानपुर से दिल्ली जाता है, और मंत्रियों के सैक्रेटरीज़ के साथ बैठ कर यह तय कर लेता है कि हमारी लागत दस फीसदी बढ़ गई है, हमारे दाम बढ़ने चाहिए। कैबिनेट के लिए पेपर तैयार हो जायेगा कि ठीक है, कोयले का दाम, रेल का फ्रेट, पावर का दाम बढ़ गया है, इस लिए इनकी बात में सच्चाई है, जस्टि-फिकेशन है, और पूंजीपति की चीज का दाम बढ़ जाता है। उसको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मगर जब किसान के फर्टलाइजर का दाम बढ़ जाए, पानी का दाम बढ़ जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए, तो क्यों नहीं यह नीति लागू होती है कि किसान को बग़ैर तकलीफ़ दिए हुए, और उसको आंदोलन के लिए मजबूर किए हुए, सरकार स्वतः कहे कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इस लिए जिस तरह से हम उद्योगपतियों की चीजों के दाम बढ़ाते हैं, उसी तरह से हम किसानों की उपज की प्राइस भी बढ़ायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, और उसके लिए किसान को आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा तब कहीं जा कर सरकार उसके साथ सौदेबाजी करती है कि 150 रुपये नहीं, 120 रुपये लीजिए या 130 रुपये लीजिए।

किसान देश का सब से बड़ा भाग है, मगर किसानों के सामान को खरीद और बेचने के संबंध में सरकार की पालिसी बिल्कुल अनरीयलिस्टिक रही है, उसकी एंटी-पेज़ेन्ट्स पालिसी रही है। इसी पालिसी का नतीजा है कि आज भारत जैसे देश को एडिबल आयल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। खाने का सामान, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल दूसरे देशों से मंगाया जायेगा, तब अपने देश को दिया जा सकेगा। कहीं कमजोरी है या नहीं? यह देश स्वयं ये चीजे क्यों नहीं पैदा कर सकता? वह कर सकता है। इसी लिए मैं चाहता हूं कि सरकार को नैशनल प्राइस पालिसी और नैशनल प्राफिट पालिसी बनानी चाहिए।

सरकार को छठी पंच-वर्षीय योजना पर फिर से विचार करना चाहिए और उसकी प्रायर्टीज को रीफ़िक्स करना चाहिए। छठी पंच-वर्षीय योजना उसी पुराने पैटर्न पर चल रही है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि ग़रीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार का इरादा चाहे जितना नेक हो, लेकिन इस कानून से इस बढ़ती हुई कीमतों, चोर-बाज़ारी और काले धन पर वह नियंत्रण नहीं कर सकेगी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इसलिए सरकार को पुरी की पूरी योजना पर फिर से विचार करना पडेगा।

इसके साथ ही इस देश में कनज्यूमर्ज मूवमेंट को मजबूत करना पडेगा और उसमें सरकार की मदद करनी पडेगी मैं आपको कैपिटलिस्ट कंट्रीज का उदाहरण देता हूं। स्विटजरलैंड मे कुछ लोगो ने कनज्यूमर्ज मूवमेंट के जरिये सारे देश मे दुकानें खोल रखी है। अगर आपको अच्छी घडी लेनी है, तो बडी दुकान मे मंहगी खरीदिए। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए घडी सस्ते मे सस्ते दामों पर दुकान पर मिलती है। इसी तरह कपडा, सब्जी और दूसरा सामान मिलता है आज सरकार को फिर से अपनी पूरी योजना पर, पूरी व्यवस्था पर, विचार करना चाहिए। इस देश मे पूजीवादी व्यवस्था दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रही है और वह आम जनता की जिन्दगी की कीमत पर, जिसके कारण 80 फीसदी लोक तबाह हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं। हमने अपने कांस्टीट्यूशन में यह प्रतिज्ञा की है कि हम सब बच्चो को स्कूल भेजेंगे, चौदह साल तक के बच्चों को कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन देंगे।

Six crores children are not going to school because their parents cannot afford to send them to primary school. These children belong to poor families the harijans, the scheduled castes, the scheduled tribes, backward classes Their parents prefer to make them domestic servants because of their weak economic position. The child earns Rs. 30 to 40 per month Therefore, he will be able to earn his *dal* and *roti*. This is the situation It needs a very serious consideration of the entire socio-economic policy. This kind of a Bill and this kind of an Ordinance is not going to control the parallel black economy in the country nor it is going to be an effective instrument against black-marketeers

With these words, I think that the Government should reconsider these measures.

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई और वह मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मर्ज बढता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। न तो मर्ज कम होता है न मरीज रोग से मुक्त होता है और डाक्टर दवा देते रहते है। भगवान जानता है (**व्यवधान**). . . दवा में तो सब कुछ तत्व है लेकिन पता नही डाक्टर किस प्रकार दवा को एडमिनिस्टर करता है? 1955 मे यह कानून आपने बनाया एसशियल कमोडिटीज ऐक्ट और उसको अमेंड करते चले गए। रवि साहब बताएंगे, बहुत अच्छा चूकि डिटेल मे स्टडी करते है, मुख्य मंत्री रहे हैं हरियाणा के, मैं उनसे एक बात

16 42 hrs

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

पूछता हूं कि ज्यो-ज्यो आपने कानून पास किया ज्यो ज्यो उस कानून मे तबदीली होती गई, क्या इस प्रकार से भाव नीचे आ गए? चीजें गरीबो को उपलब्ध होने लगी? और इस प्रकार से आपने कितने लोगो को सजा दी? जो कानून आज है उस कानून के अन्तर्गत कितने दोषी पकडे गए और कानून की कमी के कारण कितने दोषी छूट गए?

मैं कानून अमेंड करना चाहता हूं, कानून में संशोधन करना चाहता हूं, ये दो बातें रोज हम सुनते हैं, चाहे जनता

पार्टी की सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो । जब कभी बोलते हैं तो यही बोलते थे कि मुनाफाखोरों, जमा-दरों, अपने रवैये को बदलो नहीं शिकंजे में बन्द कर दिए जाओगे । अखबारों में यह खबर मुख्य पृष्ट पर होती है। जमाखोर जितने हैं शिकंजे में बन्द कर दिए जायेंगे । अच्छा है । दो चार रोज तो बड़े बड़े स्टेटमेंट अखबारों में आते है और ये स्टेटमेंट जैसे सांप फुफकार करता है ऐसे ही दो चार रोज तक बहुत निकलते हैं । उसके बाद जैसे सांप थक जाता है और अपनी फुंकार बन्द कर देता है ऐसे ही ये स्टेटमेंट आने बन्द हो जाते है । लोग समझते है कि अब थक गए । उसके बाद एक काम यह करते है कि कानून बना देते हैं । मैं कहता हूं दवा का नाम लेने से रोग नही जाता है, दवा खाने से रोग जाता है । लेकिन यहां एक बात है कि दवा का नाम रोज लेते रहो ।

एक बात मैं बताऊं कि आपके राज्यों के लोग हैं... (व्यवधान) ... देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो मंत्री जी की आवाज में बोलें, मैं शायद ज्यादा मंत्री जी के नजदीक होऊंगा लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके कानून बनाने के बाद कितनी बार उसमें तरमीम हुई और कानून में तरमीम होने के बाद भावों में कितनी गिरावट आई, कितने आदमियों को सजा हुई और कितने हाई कोर्ट के जजमेंट्स है जो यह बतलाते हैं कि कानून की कमी के कारण और उसमें जो कमजोरियां है उनके कारण मुलजिम छूट गए ? एक नयी बात शायद मेरे दिमाग में आती है कि न्याय एक सौदा है जो तिजोरियों से खरीदा जा सकता है । बिलकुल और कुछ न्याय नहीं है । तिजोरियों में जिसके पैसा है वह न्याय खरीद सकता है । आज एक भ्रष्टाचार जीवन में हर तरफ से छाया हुआ है, देश के रोम-रोम में व्याप्त है । यह भ्रष्टाचार का अछूत जन-जीवन में किसी से अलग नही है । उसने सभी हिस्सों को छू लिया है । क्या आप बतायेंगे कि कितने इन्फोर्समेंट, इंस्पेक्टर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स सप्लाई आफीसर कितने फूड कमिश्नर या कितने और अधिकारी इस महकमे में है जिन-पर इस कानून के जरिए ऐक्शन लिया गया है । जो धनवान लोग है, जो मालदार लोग है उन पर इसका कोई असर नही होगा । वे तो बस यह जानते है चार पैसे रिश्वत के ज्यादा लगेंगे । नजराने से दफ्तर के बड़े बड़े देवता खुश हो जाते है। जो देवता वहां पर काम करते है उनको प्रसाद चढ़ा दिया गया तो फिर आपका सारा कानून अलग रह जायेगा। यह देवता प्रसाद के भूखे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी मशीनरी है जिसके जरिए से आप कानून को लागू करेंगे।

मैं मानता हूं कि आपने कानून को सख्त कर दिया । आपने नानबेलेबल आफेन्स कर दिया है । मैंने सोचा कि यह बड़ी चीज हो गई, अब बनिए घबरा जायेंगे, पहले अगर दो हजार देते थे तो अब चार हजार रख लें । तो नान-बेलेबल आफेन्स बनाकर आप क्या करना चाहते है ? किसी ने एक टेक्निकल आफेन्स की है, कोई सूची लगी हुई थी वह किसी कारण हट गई तो आपने कह दिया नानबेलेबल आफेन्स और उसमें आपने कोई डिस्क्रीशन भी नहीं दिया । तीन महीने की सजा मैनडेटरी कर दी गई है कि तीन महीने की सजा तो होनी ही । एक दिन की सजा क्यों नही हो सकती अगर कोई टेक्निकल आफेन्स ही किया गया है ? कई बार टेक्निकल

[श्री मूल चन्द डागा]

आफेन्स हो जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि उसकी गिल्टी इंटेन्शन थी या नहीं ? इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो आपने तीन महीने की सजा का प्राविजन रखा है उसपर आप फिर से विचार करेंगे । पहले तीन महीने तक की सजा का प्रावधान था लेकिन अब आपने कह दिया कि तीन महीने की सजा दी जायेगी ।

आपने सेक्शन (7) में अमेन्डमेंट किया है । पहले तो आपने नानबेलेबल कर दिया और फिर यह कह दिया कि अगर कलक्टर ने जजमेंट दे दिया, जिसके लिए पहले प्राविजन था कि जुडीशियल एथारिटी के पास अपील की जा सकती थी, लेकिन अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपील की जायेगी । क्या आप जुडीशियरी में विश्वास करना चाहते है या नहीं आपको जुडिशियरी पर विशवास है या नही– यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न सामने आता है । इस पर भी आपको विचार करना चाहिए । आपने जो क्लाज अमेंड किए है इसमे सेक्शन 6 (सी) में आपने कहा है :

In Section 6C of the principal Act—

> for the words "any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority", the words "the State Government concerned and the State Government" shall be substituted.

सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमने जुडीशियरी, एग्जीक्यूटिव और लैजिस्लेचर इन तीनों अंगों को रेस्पेक्ट दी है आज उसमें कमी करने का क्या कारण है ?

यह आप का सन् 1955 का एक्ट है । जुडीशियल एथारिटी को अमेंड करके आप ने कह दिया है : . .

They have said in Clause 5:

> "....in sub-section (1) for the words any judicial authority appointed by the State Government concerned and the judicial authority the words "State Government concerned and the State Government" shall be substituted."

राव बीरेन्द्र सिंह : आप ने कहा इन्साफ बिकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बिल्कुल ठीक बात है । आपने कहा कि नहीं, यह जो बैठते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले, वे न्याय करें और आपके दिमाग में यह बात आ गई । आप इस बात को समझिए कि जुडीशियरी को हर वक्त इंडिपेंडेंट मानना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि आप जुडीशियरी को हटा कर समाज को पावर देना चाहते है, उस पर आप विचार करिए और नही तो यह जो पावर आप ने दी है , उस पर गौर करके देख लीजिए । आपने सैक्शन–7 में अमेंडमेंट करते समय क्या कभी सोचा है कि इस में अमैंडमेंट करना क्यों जरूरी था । आप का क्लाज–7 क्या कहता है :

Clause 7 of the Bill reads:

> "In section 7 of the principal Act,—
>
> (a) in sub-section (1), the proviso to sub-clause (ii) of clause (a) shall be omitted;
>
> (b) the proviso to sub-section (2) shall be omitted;
>
> (c) the proviso to sub-section (2A) shall be omitted;....'

Now, what is the proviso they want to omit? The provision the principal Act reads:

> "Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judg-

ment, impose a sentence of imprisonment for a term of not less than three months."

In the case of proviso to sub-section (2A) it is six months.

उस के अन्दर जो सजा थी, उसके जरिए नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की। एक अमेंडमेंट आपने किया कि जजेज नहीं रखे जायें। मैं कहना चाहता हूं कि जजेज के सिवाय कौन रखे जाते हैं। आप ने कह दिया .

"..or are qualified to be appointed as judges...."

What do you mean by 'are qualified..'? Why not: "Every such Board shall consist of three persons who are, or have been, judges of a High Court, and such persons shall be appointed...."?

दस साल में एल० एल० बी० कर लिया और दुकान कर रहा हूं। दस साल में एक दफा कोर्ट में गया हूं—आई-एम-क्वालिफाईड। क्वालिफाईड यह आप ने क्यों हटाने की कोशिश की। जजेज पहले भी थे—बोर्ड शैल कन्सिस्ट आफ जजेज और क्वालिफाइड टू बी एप्वांइटेड। लेकिन आप ने क्राइटेरिया क्या रखा है, कुछ नहीं। लेकिन हि-विल-बी-एप्वाइंटेड एज जज। फिर आप ने नान-बेलेबल आफेंस कर दिया और नान-बेलेबल-आफेंस करने के बाद समरी ट्रायल कर दिया और समरी ट्रायल करने के बाद आप ने उस केस के अन्दर कहा कि दो साल तक की सजा दी जाएगी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप ने राज्य सभा में स्टेटमेंट दिया है, इस संबंध में। जहां पर कोई टैक्नीकल आफेंस हैं तो उन को तीन महीने कम्पलसरी सजा हो। कोई आदमी 70 साल का है, कोई छोटा सा लड़का है, क्या आप ने उनके बारे में सोचा है। आप ने तो इसे मेण्डेटरी कर दिया। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा आप मेहरबानी कर के इस बिल को पारित करते समय इस बात को समझ लें कि कानून पारित कर देने से बड़ा असर हो जायगा—ऐसी बात नहीं है। आज मुझे अगर 100 बोर सीमेंट चाहिये तो वह मिल सकता है, चोर बाजार में सब कुछ मिल सकता है, इसलिये कि कानून को सही मायनों में अमली रूप नहीं दिया जाता है। हमारी मशीनरी, हमारे काम करने वाले लोग इतने ईमानदार और दूध के धुले हुए नहीं हैं कि वे न्याय दे सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि इस कानून के जरिये जो निर्दोष व्यक्ति है या जिस ने जानबूझ कर नहीं किया है, वह फंस जाय, क्योंकि कानून मकड़ी का जाला है, जिस में गरीब जल्दी फंस जाता है और धनवान छूट जाता है। धनवान तो फंसता ही नहीं है। आप चाहे जिस तरह का कानून पारित करें—धनवान उस से बाहर निकल आने का तरीका जानता है। जब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, नजराना नहीं हटेगा, तब तक कानून के जरिये सरकारी कर्मचारी छोटे दुकानदारों को परेशान करते रहेंगे।

मैं ने इस बिल पर अपने कुछ अमेण्डमेन्ट्स दिये हैं, जब उन का समय आयेगा, तब मैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं पुनः तीन बातों की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं—इस को नान-बेलेबिल न बनायें, तीन महीने की सजा का प्रावधान न करें और जुडीशियल अथारिटी को जो पावर दी गई हैं, वे स्टेट अथारिटी को न दे दें। ....

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): और गरीब बनियों का ध्यान रखें।

श्री मूल चन्द डागा: ब्राह्मणों का भी ध्यान रखिये क्योंकि वे बनियों के घर आते हैं और उन से दोनों का कल्याण होता है।

SHRI CHITTA BASU: Sir, so far as the intention, the objective of the Bill in dealing with the blackmarketeers and hoarders are concerned, I think, there cannot be any difference of opinion. But, Sir, I am inclined to observe at this stage that by this amendment, Government propose to include certain special provisions and a few categories which they have prescribed for the special provisions. They are:

1. there should be a provision of special courts;

2. there should be a provision for summary trials; and

3. offence should be non-bailable.

These are the special provisions. Let me make this submission that the amendments, by themselves, cannot really fulfil the object of the Bill. The object of the Bill and the Long Title is 'for dealing more effectively with persons indulging in hoarding and blackmarketing of, and profiteering in essential commodities and with the evil of vicious inflationary prices..' Sir, you would notice that if the phenomenon of inflation has also been connected with this, is it possible to fight back the inflationary trend, the rise in prices, by this kind of amendment? I am sorry to say that if we have to fight back the inflationary trend, then some special economic policy, special economic steps are required which could check the inflation.

Sir, as I have told you earlier, these amendments, left by themselves cannot fulfil the object of the Bill. You have rightly pointed out that this Act was in force from the year 1956 or 1955. Has there not been any increase in price after 1956? There has been.

So far as Prevention of Blackmarketing Act is concerned it had been passed earlier and we have been told that there were 843 arrests or detentions under that Act. It has also been said that 3,746 searches and seizures took place last and so far as COFEPOSA is concerned there were 354 detentions. Don't misunderstand me but these facts do point out that merely by these measures the price rise cannot be curbed. On the contrary prices have gone up. Therefore, it is not only the question of legislation or amendment, some other measures are required if we are to deal with the price rise..

For example, you cannot curb the price rise unless you have a wide range distribution system of essential commodities and you cannot have an effective distribution system through public channel unless you have got physical control over the commodities. What is happening today is that under the name of public distribution system you have got no physical control over the commodities which are essential. Commodities are not being supplied at cheaper or fixed rates through those shops because you have no physical control over the commodities. Therefore, if you want really to make public distribution system successful and effective it is necessary to have physical control over the essential commodities. I know the hon. Minister will be angry with me whereas I reiterate my position that unless you take over the wholesale trade of essential commodities all talk of effective distribution system is going to be ineffective.

Sir, even in the parent Act there was provision in Section 6A whereby Government can statutorily fix prices. What prevents the Government from fixing the prices of essential commodities statutorily and then seeing that the prices are not brought up.

Sir, a proposal has been made by the West Bengal Government, namely, there should be a list of fourteen essential commodities and the prices of those

fourteen essential items should be statutorily fixed all over the country and there should be Civil Supplies Corporation with an element of subsidy from the Centre and they should see that these essential commodities are distributed to the consumers through fair price shops. (*Interruptions*) You cannot curb the prices if you go the IMF way.

17.00 hrs.

The World Bank asks you to reduce the subsidy. And you tell them, yes, we are going to reduce the subsidy. But may I tell you this? By reducing the subsidy the prices cannot come down. It is the IMF and the World Bank which prescribe that subsidies should be reduced and if necessary abolished altogether. They say that there should be ban on strikes and you have agreed to that. But I am not discussing those things just now. I say, if you have really *bona-fide* intensions, there should be a reversal of this policy.

It is my demand that Government should not only strengthen the public distribution system, but they should statutorily fix prices of essential commodities. I have already mentioned 14 items. There should be Civil Supplies Corporation at the State Level which should be established with an element of subsidy. The State Government should be allowed to distribute them to consumers at cheper rate. There should be differential price rate; for the poorer sections of the community the price should be lower. Agricultural workers and weaker sections of the community should be able to get food articles and essential items at cheaper rates. I feel that unless that policy is pursued by the Government, these kinds of piecemeal amendments will not achieve the objectives in view.

My last point is this. My friend Shri M. C. Daga has also pointed out about this. There is a deliberate attempt at aboilition of the judiciary at every step. Wherever the word 'Judicial authority' is mentioned, the proposed amendment says, 'It will be substituted by State Government', as if the judiciary is the vilain of peace or the culprit in the entire set-up. The parent Act provided that the judges should be sitting judges. But now you want to substitute by a single person sitting court. And who will be the judge? Any lawyer belonging to your party having 10 years experience of practice in any High Court can become Judge of this Special Court. This is an indication of your partisan attitude and partisan interest. You want to go to the extent of removing the judicial control in this entire set-up. You want only your partymen to head these Special Courts. I feel that such kinds of laws will be misused and abused. What you should do is that you should bring about a major shift in our economic policy so that the prices can come down and the consumers can be assured of supply of essential commodities at cheaper and reasonable prices. With these words I conclude.

सभापति महोदय : व्यास जी, आप थोड़े में बोल लें, इसको आज खत्म करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय जो बिल माननीय मंत्री महोदय यहां पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर इस में जो कुछ खामियां है उनके बारे में मे जरूर निवेदन करूंगा ।

इस में एक तो यह है कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी अपने घर में कितना सामान रख सकता है, और उससे ज्यादा रखने पर उसके खिलाफ क्या हो सकता है। अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान रखता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ? उसके बारे में भी

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

इसमें प्रावधान होना चाहिए। जो प्रशेंशल कमोडिटीज पैदा करता है और वह लिमिट से ज्यादा अपने यहां रखता है तो निश्चित तरीके से उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। वह भी उसी तरह से कानून का उल्लंघन करता है जिस तरह से दूसरा करता है। इसलिए इसमें कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए।

आपने धारा-8 में छूट दे दी है। उसमें कहा गया है कि –

"परंतु जहां किसी व्यक्ति ने धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (4क) या उपखण्ड (4) में वर्णित प्रकृति की किसी आवश्यक वस्तु को, अपने उपयोग के लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए या अपने पर निर्भर किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए न कि ऐसी किसी वस्तु का कारबार या व्यापार करने के प्रयोजन से, उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी आदेश का उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण किया है।"

इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रयोजन मे उसको छूट दे दी है। उसके परिवार वालों को भी छूट दे दी है। इसके तहत उस के खिलाफ कार्यवाही नही की जा सकती है। इससे जो बड़े बड़े काश्तकार और खाते दार है, वे इससे फायदा उठायेंगे और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने में बाधा आएगी और मंशा के विपरीत व्यवस्था सुचारू रूप से नही चल सकेगी। लोग निश्चित रूप से कानून का उल्लघन करेंगे, इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से 12क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें (घ)–(i) में बताया गया है कि –

"इस प्रकार छोडे जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अभियोजन को अवसर दिए बिना ऐसे व्यक्ति को तभी जमानत पर छोड़ेगा जब विशेष न्यायालय की, लेख बद्ध किए जाने वाले कारणो से, यह राय हो कि ऐसा अवसर देना व्यवहार्य नही है।"

आप ने इस प्रकार की इजाजत दे दी है कि सरकार के पैरोकार कोई आब्जैक्शन न करें, इसलिए इस से पहले ही जज उस को जमानत पर छोड देगा। इस तरह से आप ब्लैक मार्केटियर्स को और होर्डर्स को जो सजा देना चाहते है, उस से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को इसमें से हटाना पड़ेगा।

इसके साथ साथ 12 (घ)(ii) में आप ने बताया है कि––

"परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस दशा में जमानत पर छोड दिया जाए, जबकि उस की आय सोलह वर्ष से कम है या वह स्त्री है या वह रोगी या दुर्बल व्यक्ति है या विशेष न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य विशेष कारण, से, जिसे लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसा करना न्यायपूर्ण और उचित है।"

इस तरह से आप बहुत कम लोगों को सजा दे पाएंगे। बहुत से लोग बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट ले आएंगे, बहुत से लोग 16 साल के बन जाएंगे, इस तरह मे आपका सारे का सारा उद्देश्य बीच में ही रह जाएगा। और आप का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए । जिस से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुचारू रूप से किया जा सके ।

अन्त में मैं एक-दो सुझाव वितरण प्रणाली के संबंध में और देना चाहता हूं । जब तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण ठीक नहीं होगा, तब तक आप कितने ही कानून बना दें, चोर-बाजारियों के खिलाफ कितने ही कानून बना दें, उन से कोई फायदा नहीं है । आप को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की एक निश्चित व्यवस्था करनी होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत से प्रांत ऐसे हैं, जैसे, मद्रास, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि, जहां पर कोआपरेटिव बेसिस पर असेंशियल आर्टिकल्स ठीक प्रकार से वितरित हो रहे हैं, लेकिन अन्य प्रान्तों में व्यवस्था ठीक नहीं है । इसलिए आप को कोआपरेटिव-सोसायटी पर आधारित एक एजेंसी तैयार करनी होगी, जिसमे तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा सके । इस में दिक्कतें आएंगी, जैसे फण्ड की दिक्कत है, मैनेजमेंट की दिक्कत है और देहात में पढ़े-लिखे लोगों की कमी-ये दिक्कतें आएंगी । इसलिए इसके लिए ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो इस कार्य का अनुभव रखते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने की ओर तत्पर है । मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत करने की ओर आप को ध्यान देना होगा । आप हर प्रकार के क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं और उस की वजह से आप की व्यवस्था जम नही पाती । और दूसरे लोग इस का दुरुपयोग करते हैं । इसलिए सब्सिडी देने की बात छोड़िये और कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कीजिये । 500 करोड़ रु० कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिये से देहात और शहरी क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसाइटीज स्थापित कर के उन को दीजिये और उन के मैनेजमेंट को ठीक से चलाइये । इस प्रकार हम निश्चित तरीके से ऐसेंशियल आर्टिकिल्स को सप्लाई कर सकेंगे ।

थोड़े दिन पहले आपने एक प्रैस कानफ्रेन्स की थी टी० वी० पर जिस में यह सवाल पूछा गया कि क्या आप ऐसेंशियल आर्टिकिल्स को सब जगह सप्लाई कर सकेंगे ? तो आप ने कहा यह जरूरी नहीं है कि सब जगह सप्लाई कर सकें । मगर आज की मंहगाई में जरूरी है कि जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें हैं जैसे गेहूं, शक्कर आदि यदि उन का वितरण हम नहीं करते तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पायेंगें । इसलिये इस चीज को ठीक करना चाहिये । आज सीमेंट, किरोसिन गैस एडिबिल आयल, सीरियल्स, शूगर, कोयला, कपड़ा ऐसी चीजें हैं जिन को कोआपरेटिव के जरिये से ऐसेंशियल आर्टिकिल्स मान कर सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिये । हम ने कपड़े की व्यवस्था की है, 110 मिलें ले कर एन०टी० सी० कायम की है, जिन में मोटा कपड़ा बनता है । मगर क्या उस का वितरण ठीक प्रकार से होता है । क्या हम गेहूं, शक्कर, वैजेटेबिल आयल, ऐडिबिल आयल लोगों को ठीक प्रकार से दे रहे हे ? यह सारी व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होनी चाहिये ।

सीमेंट को देख लीजिये । पहले तो उन के ऐजेन्ट लोग ब्लैक करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े सीमेंट के कारखानेदार स्वयं ब्लैक करते हैं । 2, 3 रु० फी बोरी ज्यादा ले कर के । भारत सरकार या सीमेंट कंट्रोलर कोई आदेश दे या न दे उन को कोई चिन्ता नहीं है । पैसे वाले लोगों को सीमेंट उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन गरीब जरूरतमन्द लोगों को सीमेंट नही मिलता । इसलिये ऐसे लोगों के संबंध में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे काम ठीक से चल सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि वितरण की व्यवस्था आप ठीक कर दें तो

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी। हमारे विरोधी दल के लोगों ने भी इसका स्वागत किया, मगर कुछ बातें अपनी तरफ़ से जोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोल माइन्स का आपने नेशनेलाइजेशन किया। लेकिन आज वहां क्या व्यवस्था है? वहां खानों में काम करने वाले लोग क्या कर रहेहैं? बंगाल की सरकार क्या कर रही है? दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं? मद्रास और केरल के बीच में ऐसेंशियल आर्टिकिल के बारे में जो घपला हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? बंगाल की सरकार लाखों टन कोयला बाहर भेज रही है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? इन सारे प्रश्नों को देखना चाहिए, और जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई लोगों तक ठीक से कर सकें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। कानून में लूपहोल्स न रहें। 1955 से आज तक कानून बनाते आये हैं, मगर जो लूपहोल्स रह जाते हैं उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए लूपहोल्स बन्द होने चाहिए।

पेस्टीसाइड्स के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि वह भी ऐसेंशियल आर्टिकिल है। लेकिन कारखानेदार जो घटिया किस्म की दवाई बना रहे हैं जिससे किसानों को और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल आप कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और ब्लाक लेविल पर लोग नहीं हैं। मेरा कहना है कि वहां आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई अधिकार नहीं है। ऐसी घटिया किस्म की दवाई बेचने वालों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जाये इसके बारे में कोई न कोई कानून के जरिए से उनको आपको पावर देनी चाहिए। ताकि इस प्रकार का जो गलत डिस्ट्रिब्यूशन या गलत काम हो रहा है, उसको रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मे इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Mr. Chairman, Sir, the avowed object of the Government is to make the Act as stringent as possible and to take harsher action against the anti-social elements, blackmarketeers, hoarders etc. In the Government's view some special provisions are required to meet the current inflationary situation and that they want to curb the anti-social elements indulging in hoarding and black-marketing, as I just now said.

But, Sir, I am very much surprised. Since 1955 the Government is armed with full legal powers, but unfortunately the anti-social elements, blackmarketeers and hoarders are having their field day and all the attempts of the Government have gone *phut*. What is the root cause, we should ask ourselves? Any sane person will be the last man to say that no action should be taken against black-marketeers, anti-social elements and hoarders. I would like to submit that the Government is passing the buck on others and make their scapegoats for their own failures. Sir, had the existing provisions of law been fully exploited and utilised in a very honest manner through the Government machinery, I think the blackmarketing, hoarding etc., would have been the matter of the past. But unfortunately, the failure of the Government to curb all these is because of the Government's wrong economic policies. Inflation is not due to anything else, but due to the failure of the government's economic policies.

Sir, the Government's machinery at the lower rung is very corrupt.

There is also a hand-in-glove relationship between the big sharks and the treasury benches. All those big sharks go scotfree and wrong type of people or small fries are netted in. It is they who have to suffer.

Therefore, I would like to ask the Government whether they are very serious about it. Whether they have got the political will to implement it and to bring to book all those anti-social elements, blackmarketeers and hoarders? Sir, I have my own doubts about the intention of the Government as far as this aspect is concerned.

The time at my disposal is very short. I had made a long list of the entire history of how this has happened.

Sir, the trading community in this country has got some reasonable apprehensions on this. I am not talking of those blackmarketeers or hoarders. Here I am talking of petty traders. The staff at the lower rung get hold of those petty traders and make them scape-goat. They are after their blood. Simply because they have not mentioned the prices on the notice-board, they are victimised

I think this Government is making a *show. This Government is not very* serious in solving the problem of inflation, in bringing down the price-line, in bringing to book all these blackmarketeers, hoarders and anti-social elements.

Under the circumstances I would like to request the Government to refer this to Select Committee. That is the only way to make it a foolproof system. Otherwise it will be very difficult for you to cope up with the situation. So far you have miserably failed and you will fail again.

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, चोर-बाजारी और मुनाफ़ाखोरी बन्द हो और महंगाई पर नियंत्रण हो, जब ऐसा कोई भी विधेयक सदन के सामने पेश होगा, तो इस माननीय सदन के सदस्य निश्चित रूप से उसको भरपूर समर्थन देना चाहेंगे । सभापति महोदय, मुझे आपके भाषण की एक बात पसंद आई । आपने कहा कि दोहरी नीति रखना मुनासिब नहीं है और सरकार को प्राइस और प्राफिट के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए । मुझे यह बात बड़ी माकूल लगी । मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि पिछले 33, 34 सालों में सरकार दोहरी और तेहरी नीति चलाती रही है । ताकि देश में शोषक और शोषित दोनों बने रहें । उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी दोहरी नीति चलाई जाती है । एक तरफ़ बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल है और दूसरी तरफ़ गांवों के छोटे स्कूल । इसी तरह दोहरी मूल्य नीति है । एक तरफ़ तो आवश्यक वस्तुओं की सरकारी दुकानें खोली जाती हैं और दूसरी तरफ़ उन्हें बाजार में भी बेचने की इजाजत दी जाती है । गेहूं, चावल, साबुन और तेल वगैरह सरकारी दुकानों पर भी बिकेंगे और खुले बाजार में भी बिकेंगे और दोनों जगह उन चीजों के दाम अलग-अलग हैं । खुले बाजार में ज्यादा मुनाफ़ा होता है और सरकारी दुकानों पर मुनाफ़ा कम होता है ।

लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि सरकारी दुकानों, फ़ेयर-प्राइस शाप्स या सुपर बाजार की दुकानों में जो चीज आज तेरह या सोलह रुपये में मिलेगी, दो महीने के बाद वह 18 रुपये में मिलेगी—दो महीने में दो रुपये दाम बढ़ जायेंगे । सरकारी दुकानों पर भी दाम बढ़ जाते हैं । जो लोग भी सरकार चलाते हैं, इन्दिरा गांधी की सरकार या कोई भी सरकार, वे जानते हैं कि उत्पादन कितना है और खपत कितनी है, और कमी कितनी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है । लेकिन इसके बावजूद बाजार में माल न मिले, दुकानों पर

[श्री राम लाल राही]

माल उपलब्ध न हो, लेकिन चोर-बाजार में, बगल में, गली-कूचे में मिल जाए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि प्राइसिज पर नियंत्रण हो और काला बाजारी तथा चोर-बाजारी न हो, तो वह सब चीजों को न सही, कुछ चीजों को चुन लें और उन्हें सरकारी दुकानों पर बिकवाएं, और जिन चीजों की व्यवस्था वह नहीं कर सकते हैं, उन्हें वह प्राईवेट दुकानों पर बिकने दें। लेकिन लागत-मूल्य और प्राफ़िट तय होने चाहिएं।

मैंने एक बार पहले कहा था और फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे एक छोटे कम्युनिस्ट कण्ट्री, जी डी आर, जाने का मौका मिला। मैंने बर्लिन में पूछा और बाल्टिक सागर के किनारे पर बसे एक गांव मे पूछा, तो मुझे बताया गया कि पच्चीस सालों मे कोई प्राइस नहीं बढ़ी है। अगर एक दियासलाई बर्लिन में 15 पैसे मे मिल रही है, तो बाल्टिक सागर के एक टापू में भी 15 पैसे से बढ़ कर 16 पैसे कोई नहीं ले सकता है। इसकी तुलना मे यहां दिल्ली मे कोई चीज एक दाम से मिलती है, तो लखनऊ मे वह दूसरे दाम से और गांवों में जहा बाढ़ है, वहा तो पूरी लूट मची हुई है। यह लूट कौन कराता है? व्यापारी कहता है कि सरकार हमको मार रही है, प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्ट है, जब हम लाइसेंस या स्टाक उठाने की बात करते हैं, तो हमको लेना-देना पडता है। सरकारी कर्मचारी कहता है कि हम क्या करें, एक जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हमें सत्तारूढ़ पार्टी को चन्दा इकट्ठा करके देना पड़ता है। और ऐसा हुआ है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि गढ़वाल में ऐसा किया। गढ़वाल में चुनाव के दो दिन पहले छापे डलवाये गए और उन से कहा गया कि आप पैसा दीजिए और वोट दीजिए। अगर नहीं देंगे तो सब के सब बन्द कर दिए जाएंगे। दो दिन पहले ये छापे डलवाये गए. (व्यवधान) . . .

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि अभाव है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से बिजली काट कर चुनाव के दरमियान आप ने 24 घण्टे बिजली गढ़वाल में दी। क्यों ऐसा किया? क्या दूसरे जिलों के जो काश्तकार थे वे पैसे नहीं देते थे? . . . (व्यवधान) . . . यही नहीं, मिट्टी का तेल पांच लिटर महीने में एक बार मिलता था, चुनाव के दरमियान में उसे बढ़ा कर 15 लिटर किया गया। . . . (व्यवधान) चीनी का कोटा बढ़ा कर दिया गया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के लोग गलती करेंगे, बेईमानी करेंगे अपने स्वार्थों के कारण तो ये बनियों पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे। कथनी और करनी को इन को साफ करना पड़ेगा। अपना ईमान प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पडेगा, अपने चरित्र को प्रदर्शित करना पडेगा। तब उस का प्रभाव पड़ेगा सारे समाज पर। तब सारा समाज सुधरेगा, तब चोर-बाजारी और काला बाजारी दूर होगी। नहीं तो आप कानून बनाते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। . . . (व्यवधान) . . .

मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, आज जो सत्तारूढ़ पक्ष की स्थिति मैंने देखी अगर उस में डिवीजन हो जाय तो पता चल जाय, क्यों कि दो विचार मैंने देखे हैं। एक ने बनियों की सपोर्ट की है और दूसरों ने खिलात की है। इस के माने इन में विरोधाभास है। . . . (व्यवधान) . . .

सभापति महोदय: आप जरा सुनिए तो। अब हाफ एन अवर डिस्कशन लिया जायगा।

The Minister will reply to the debate tomorrow.